जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600 वर्ष: 17 संख्या: 95 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 4 फरवरी, 2026 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा करने को मजबूर हो गए थे ट्रंप?

ट्रंप ने महसूस कर लिया था कि अन्य देशों (यूरोपियन यूनियन) के युद्ध के लिए भारत को दण्ड देना हास्यास्पद बात है, क्योंकि वो देश (यूरोपियन यूनियन) स्वयं तो भारत से "फ्री ट्रेड डील" कर रहे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- अतः ट्रंप ने स्वयंमेव, रूस से ऑयल खरीदने पर भारत पर लगाई 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा वापस ली।
- ट्रंप की इस घोषणा के बाद, प्र.मंत्री के समक्ष और कोई विकल्प नहीं रह गया, इसके अलावा कि वे इस "फ्री ट्रेड डील" का स्वागत करते।
- ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस ट्रेड डील के बाद, भारत-रूस से ऑयल खरीदना बंद कर देगा और वेनेज़ुएला से ही ऑयल खरीदेगा। यह भी एक हास्यास्पद दावा है।
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीददार है और वेनेज़ुएला इस स्थिति में ही नहीं है कि अगर वो अपना पूरा ऑयल भी बेचे तो भी भारत की जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा।
- इसके अलावा, ट्रंप का यह दावा भी अव्यवहारिक है कि भारत बिना किसी टैरिफ के अमेरिकी माल को भारत में आने की सुविधा देगा, पर, अमेरिका भारत के निर्यात पर कम से कम 18 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इन शर्तों पर कोई देश व्यापार करना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस शर्त से तो उस देश का अपनी "सोवरैन्टी" (सार्वभौमिकता) का सौदा करना माना जाएगा।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। अगर दो बड़े देशों के बीच कोई व्यापार समझौता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक फोन कॉल के तुरंत बाद घोषित किया जा सकता है, तो ऐसे समझौते को ज़्यादा से ज़्यादा "नकली" ही कहा जा सकता है।

या फिर यह भी संभव है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का पर्याप्त आधार पहले से मौजूद था, जिसे राजनीतिक या भू-आर्थिक कारणों से रोका गया था। अगर कुछ कहना हो, तो यह कहा जा सकता है कि टैरिफ और बहिष्कार की ट्रम्प की धमकियों के सामने भारत के न झुकने के रूख ने शायद आखिरकार ट्रम्प को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईसीसी के खिलाफ पाक क्रिकेट बोर्ड को झटका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 फरवरी। भारत के खिलाफ 15 फ़रवरी को होने वाले हाई-प्रोफाइल वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार के अपने फैसले के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कई अन्य सदस्य बोर्डों से संपर्क किया।

लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। एक भी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के

- 15 फरवरी से शुरु हो रहे विश्व कप में भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने की पाक क्रिकेट बोर्ड की मुहिम को अन्य देशों ने ठुकरा दिया है।

रुख का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान सरकार द्वारा सोशल मीडिया के ज़रिये सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बावजूद, पीसीबी ने अब तक इस बहिष्कार को लेकर इंटरनैशनल क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) से औपचारिक रूप से संपर्क तक नहीं किया है।

आधिकारिक संवाद की इस कमी ने पीसीबी को और ज़्यादा अलग-थलग कर दिया है और वह उस क्रिकेट समुदाय से और दूर होता जा रहा है, जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुझे नहीं बोलने दिया क्योंकि मैं ट्रेड डील की सच्चाई पर बोलने वाला था'

राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के पीछे असली कारण और हैं, और बहुत कुछ हैं

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ट्रेड डील का मुख्य कारण था, अडानी के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में चल रहा केस तथा एपस्टीन फाइल्स में कई और शर्मनाक तथ्य शीघ्र उजागर होने वाले हैं।
- राहुल, अपनी पीठ इसलिए भी थपथपा रहे हैं कि जब विपक्ष का कोई नेता प्र.मंत्री मोदी का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा, वे (राहुल गांधी) प्र.मंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारत-अमेरिका "ट्रेड डील" में उन्होंने देश के हितों को तिलांजलि दे दी है।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। राहुल गांधी ने जब नरेन्द्र मोदी पर बिना किसी लाग लपेट के सीधा व स्पष्ट हमला बोला तब वे बेहद आक्रामक व तीखे अंदाज़ में नज़र आए।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पिछले दो दिनों से सरकार द्वारा सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई और संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री को सीधे घेरा।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी समझौता कर चुके हैं और वे भारी दबाव में हैं, इसी वजह से उन्होंने अमेरिका-भारत व्यापार समझौता किया है। राहुल ने कहा कि मोदी बहुत डरे हुए हैं, इसलिए ही सरकार ने उन्हें सदन में बोलने ही नहीं दिया।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवने की उस किताब पर बोलना चाहते थे, जिसे अभी प्रकाशन के लिए रक्षा मंत्रालय की मंज़ूरी नहीं मिली है, लेकिन जिसके अंश "कारवां" पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे से जुड़ा मुद्दा तो केवल एक साइड शो है, असली मुद्दा अमेरिका-भारत व्यापार समझौता है, जिस पर बोलने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि इस पूरे दबाव की जड़ अमेरिका की अदालत में अडानी के खिलाफ चल रहा मामला है। राहुल ने कहा कि निशाने पर अडानी नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, और असली निशाना उनका वह वित्तीय तंत्र है, जिसे अडानी संभालते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा एप्सटीन फाइल्स का है, जिसमें आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं।

राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर पूछा है कि उन्हें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, खासकर तब, जब उन्होंने पत्रिका में छपे लेख को प्रमाणित किया है।

उन्होंने इसे लोकतंत्र पर एक धब्बा बताया और कहा कि यह पहला अवसर है जब विपक्ष के नेता को सदन में बोलने से रोका गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकती हैं ममता बनर्जी

एसआईआर पर दायर ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई की संभावना

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- प.बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में एसआईआर की वैधता पर सवाल उठाया है। उनकी याचिका को एसआईआर के खिलाफ दायर अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट की कम्प्यूटराइज़्ड कॉज लिस्ट में यह केस पहले 6 फरवरी के लिए रजिस्टर्ड दिख रहा था, पर मंगलवार को यह 4 फरवरी के लिए रजिस्टर्ड नज़र आ रहा था।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, वे राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन-एसआईआर) को चुनौती देने वाली अपनी याचिका की सुनवाई के सिलसिले में अदालत में उपस्थित होंगी।

सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी की याचिका को भारत निर्वाचन आयोग (इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया-ईसीआई) के खिलाफ दायर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुना जा सकता है, जिनमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा शाखा ने उनके आने के लिए कथित तौर पर अनुमति दे दी है। ममता बनर्जी ज़ैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता है।

सूत्रों के मुताबिक, यह प्रकरण बुधवार को सूचीबद्ध किया गया है। ममता बनर्जी बनाम निर्वाचन आयोग शीर्षक वाला यह मामला 4 फरवरी की कंप्यूटरीकृत कॉज लिस्ट में दिखाई दे रहा है। दो दिन पहले, यह मामला 6 फरवरी की सूची में दर्शाया गया था।

ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने इस प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर आपत्ति जताते हुए, निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैये का आरोप लगाया है।

शनिवार शाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे एक पत्र में ममता बनर्जी ने एसआईआर के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश राजस्थान को 30 हजार ईवीएम लोन पर देगा

जयपुर, 03 फरवरी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अब छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जिम्मेदारी निभाएगा। इससे देश को ईवीएम खरीद में लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी।

आज, 03 फरवरी, 2026 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित

- दोनों राज्यों के निर्वाचन आयोग में एमओयू हुआ, राजस्थान तीन करोड़ का भुगतान करेगा।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट चार माह की अवधि के लिए लोन बेस पर उपलब्ध कराने का एम.ओ.यू. संपादित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जश्न मनाना अभी जल्दबाज़ी होगी'

दिल्ली के थिंक टैंक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने चेतावनी दी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- थिंक टैंक का कहना है कि डील में ज़ीरो टैरिफ और भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं हुई है।
- थिंक टैंक ने कहा, अक्सर जब डील के कानूनी पहलुओं को परखा जाता है तो ट्रेड एग्रीमैंट्स का रूप ही बदल जाता है।
- थिंक टैंक ने चेतावनी दी, अमेरिका एकतरफा डील करता रहा है, जिसमें वह ताकतवर स्थिति में होता है तथा सामने वाले पक्ष को दबाकर टैरिफ से स्थायी छूट प्राप्त कर लेता है, पर, खुद अपने बाज़ार में माल बेचने के लिए दूसरे देशों पर शर्तें लगाता है, यही नहीं, इसे पलटने का प्रावधान तक रखता है।
- थिंक टैंक ने कृषि सैक्टर को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि अमेरिकी कृषि व डेयरी उत्पाद आने से भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई), जिसे नीति निर्माता और व्यापार विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं, ने आगाह किया है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। जीटीआरआई का मानना है कि यदि बातचीत में शामिल शर्तों पर सावधानीपूर्वक मोलभाव नहीं किया गया, तो वे भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।

जीटीआरआई ने इन वार्ताओं से जुड़े कुछ प्रमुख दावों पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि "ज़ीरो टैरिफ" या भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान की खरीद जैसी बातें अब तक सत्यापित नहीं हुई हैं और कुछ मामलों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं। थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि किसी भी समझौते का जश्न उसके सूक्ष्म प्रावधान सामने आने से पहले नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी दायित्वों की जाँच के बाद व्यापार समझौते अक्सर बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देते हैं।

थिंक टैंक ने चेतावनी दी कि अमेरिका आम तौर पर स्थायी शुल्क रियायतें चाहता है, जबकि बदले में सशर्त या वापस ली जा सकने वाली बाज़ार पहुँच और यह भारत के लिए ऐसा जोखिम है कि वह ऐसी प्रतिबद्धताओं में बँध जाए जो उसका नीतिगत लचीलापन, विशेष रूप से कृषि और संवेदनशील विनिर्माण क्षेत्रों में, कमज़ोर कर दें। थिंक टैंक ने कहा, "एक बार जब शुल्क छोड़ दिए जाते हैं, तो उन्हें आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता।" उसने यह भी कहा कि आसियान, जापान और कोरिया के साथ हुए पिछले मुक्त व्यापार समझौते दिखाते हैं कि असंतुलित समझौते कैसे निर्यात में समान लाभ दिए बिना व्यापार घाटे को बढ़ा सकते हैं।

थिंक टैंक ने एकतरफा समझौते के जोखिम की ओर भी ध्यान दिलाया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मु.मंत्री

इंफाल, 03 फरवरी। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में खेमचंद सिंह नए सीएम होंगे। मंगलवार को मणिपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में

- मणिपुर में भारी हिंसा के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसके बाद अब जाकर नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है।

युमनाम खेमचंद सिंह को नेता चुना गया।

इस बैठक में पूर्व सीएम एन बीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारियों की मौजूदगी में नेता का चुनाव किया गया। गौरतलब हो कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मैतेई-कुकी जातीय संघर्ष के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

'प्रदेश की छोटी-छोटी खदानों में ड्रोन सर्वे से पैनल्टी तय करना उचित कैसे?'

राजस्थान स्मॉल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की

- यादवेन्द्र शर्मा -

- जस्टिस अनूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस प्रकरण की सुनवाई 6 मार्च तय की है।
- याचिकाकर्ता के वकील, अश्विनी चौबीसा ने दलील दी कि, कर्नाटक में भी इसी तरह ड्रोन और सैटलाइट सर्वे के आधार पर खनन पर पैनल्टी लगाना शुरू किया गया था, जिससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ गयीं, क्योंकि यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। बाद में कर्नाटक सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया।

जयपुर, 3 फरवरी (कासं)। प्रदेश की छोटी-छोटी खदानों में माइनर मिनरल जैसे बजरी, चेजा-पत्थर का खनन करने वाले लीज़धारकों पर ड्रोन सर्वे और जिओ टैगिंग की अनिवार्यता थोपने का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान स्मॉल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को संशोधित खनन नियमों को चुनौती दी गई है। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए मंगलवार को जस्टिस अनूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस संवेदनशील प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च तय की है। याचिका में कहा गया है कि, कर्नाटक में भी इसी तरह ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के आधार पर खनन पर पैनल्टी लगाना शुरू किया गया था, जिससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ गयीं, क्योंकि यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। बाद में कर्नाटक सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व में खनन पट्टों का सीमांकन फीते और कंपास के आधार पर किया जाता था। परंतु वर्ष 2017 में खनन नियमों में संशोधन करते हुए ड्रोन सर्वे को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक पट्टा धारक के लिए प्रतिवर्ष ड्रोन सर्वे रिपोर्ट पेश करवाना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मापदंड बड़े लीज़धारकों के लिए उचित है, परंतु छोटे-छोटे लीज़ धारकों के लिए अव्यवहारिक है, क्योंकि इनकी अधिकांश लीज़ एक हैक्टेयर से भी छोटी होती है। इस नियम को भी वर्ष 2024 में संशोधित करके बदला गया है। साथ ही सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए जिओ टैग करके लीज़ की सीमाएं तय की जा रही हैं।

अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने अदालत में दलील दी कि ड्रोन सर्वे का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में किए गए कार्य का आकलन करना है। परंतु बिना किसी स्पष्ट एसओपी के यह गणना करना वैज्ञानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। सरकार ने केवल 10 मार्च 2025 को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है, लेकिन वास्तविक गणना प्रक्रिया अभी भी अस्पष्ट है।

उन्होंने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि यह नियम-कायदे कोयले, सोना-चांदी, लोहा व अन्य बड़ी खनन गतिविधियों का मुआयना करने के लिए उचित है, परंतु इसे छोटे-छोटे खनन ब्लॉक और उनके व्यवसायों के लिए लागू करना अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के मुताबिक, छोटे लीज़धारकों को कंक्रीट की बाउंड्री (सीमा) बनानी पड़ेगी, इस कारण उनका खनन क्षेत्र और भी छोटा हो जाएगा। साथ ही छोटी-छोटी बाउंड्रियां बनाई जाना भी संभव नहीं है, यह पूरी तरह अव्यवहारिक है।

उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे की लागत अत्यधिक है, बिना किसी स्पष्ट सरकारी सब्सिडी और उचित दिशा-निर्देशों के अभाव में, छोटे खनन व्यवसायियों के लिए यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होगी। साथ ही अगर कोई लीज़ धारक अपनी तय जगह से थोड़ा बहुत भी इधर-उधर खनन कार्य करता पाया जाता है, तो उसे 10 गुना रॉयल्टी बतौर जुर्माना चुकानी पड़ेगी। गौर फरमाने योग्य बात यह है कि अगर किसी लीज़ धारक के ब्लॉक की बाउंड्री के बाहर भी अवैध खनन पाया जाता है तो उसकी वसूली भी उसी लीज़ धारक से की जाएगी, चाहे वहां अवैध खनन किसी और ने किया हो। ऐसे में छोटे खनन व्यवसायियों में सरकार के इस नियम के कारण डर का माहौल है। इन लीज़ धारकों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर यह नियम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोलकाता व पूर्वी भारत में भूकंप के झटके

कोलकाता, 03 फरवरी। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे आम लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

भूकंप के झटके इतने स्पष्ट थे कि

- भूकंप का केन्द्र म्यांमार में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 नापी गई।

कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके रात करीब 9:04 बजे महसूस किए गए।

कोलकाता के अलावा हावड़ा और हुगली जिलों में भी धरती कांपती हुई महसूस की गई। इतना ही नहीं, उत्तरी बंगाल के कई हिस्सों में भी भूकंप का असर देखा गया।

विचार बिन्दु

जो तेरे सामने और की निंदा करता है, वो और के सामने तेरी निंदा करेगा। –कहावत

सत्ता से असहमति और विरोध ही लोकतंत्र की आत्मा

लोकतंत्र की आत्मा असहमति में बसती है। प्रश्न करने का अधिकार, विरोध दर्ज कराने की स्वतंत्रता और सत्ता से जवाब मांगने की क्षमता ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली पहचान होती है। लेकिन शासन व्यवस्था या सत्तारूढ़ नेतृत्व को स्वभावत: असहमति असहज लगती है। मगर यहीं पर उनकी सच्ची पहचान होती है कि वे कितने सहिष्णु हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि असहमति लोकतंत्र की प्राणवायुहोती है। लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया भर नहीं होता है जिसमें मतदाता ने वोट के जरिए अपनी राय व्यक्त कर दी और उसकी भागीदारी का काम पूरा हो गया। लोकतान्त्रिक भागीदारी की प्रक्रिया निरंतर संवाद, आलोचना और सुधार की होती है। असहमति सत्ता को जवाबदेह बनाती है, नीतियों की खामियों को उजागर करती है और समाज को वैचारिक रूप से जीवंत रखती है। जिस लोकतंत्र में केवल प्रशंसा स्वीकार्य हो और आलोचना अपराध बन जाए, वह लोकतंत्र नहीं, बल्कि बहुमत के आवरण में छिपा अधिनायकवाद ही कहा जाएगा। लेकिन असहमति और विरोध का अर्थ हिंसा या अराजकता फैलाना नहीं होता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेखन, भाषण, कला, व्यंग्य और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति, ये सभी विरोध के वैध तरीके हैं जिन्हें भारतीय संविधान में बड़े जतन से संजोया गया है। किन्तु समस्या तब पैदा होती है जब सत्तासंविधान की भावना को नज़रन्दाज़ करते हुए नये-नये कानून बनाती है और शब्दों के विधिक अर्थों से यह तय करने लगाती है कि कौन-सा विरोध 'उचित' है और कौन-सा 'अनुचित'। यह समस्या तब और घनी हो उठती है जब सत्ता कानून बना कर विरोध को 'अपराध' घोषित करने लगती है और नागरिक प्रशासन तथा पुलिस तंत्र पर मुकदमें बनाने का निर्णय छोड़ देती है। यह किसी से छुपा नहीं है कि लोकतान्त्रिक शासन-प्रशासन में लगे लोगों के मन में अब भी सामंती सोच घुसा हुआ है और वे संविधान को नहीं सत्ता में बैठे नेतृत्व की ओर ताकते हैं और उसे ही प्रसन्न रखने के प्रयत्न करते रहते हैं। यहीं अभिव्यक्ति की संविधान सम्मत आज़ादी पर प्रहार शुरू होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के पन्नों में रह जाती है। विरोध के स्वर उठाने वाले अदालतों की लंबी ट्रायल से पहले ही बरसों जेलों में बंद रहते हैं। आजादी के एक दशक बाद शाइर साहिर लुधियानवी ने 'फिर सुबह होगी' फिल्म के लिए एक गीत में लिखा था, हक़ मांगने वालों को जिस दिन सूली ना दिखाई जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। ये लाइनें उन्होंने एक सच्चे लोकतंत्र की गहरी आस में लिखी थी। आजादी के 75 साल से अधिक होने पर भी यह आस यदि पूरी नहीं हो रहे है तो उसका कारण सामंती मानसिकता और सत्ता का अहंकार ही कहा जा सकता है। भारतीय समाज तथा प्रशासनिक ढांचे में औपनिवेशिक शासन और सामंती सोच की छाया अब भी मौजूद है, जहां सत्ता को चुनौती देना 'अपराध' माना जाता है। विरोध करने वाला नागरिक नहीं, बल्कि 'उपद्रवी', 'अराजक तत्व' या 'राष्ट्रिवरोधी' के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह मानसिकता स्पष्टत: लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सत्ता जनता की सेवक होती है, स्वामी नहीं। लेकिन जब सत्ता स्वयं को अचूक और आलोचना से परे मानने लगे, तब असहमति को कुचलना उसका सहज व्यवहार बन जाता है। वैचारिक असहमति को राज्य के खिलाफ षड्यन्त्र मान लिया जाता है और उससे निबटने के लिए संसदीय बहुमत के जरिए बिना किसी गंभीर बहस के कानून में कठोर प्रावधान कर दिए जाना आम बात हो गई है।

सवाल उठता है कि विरोध की परिभाषा किसके हाथ में हो? सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब 'विरोध की अभिव्यक्ति' की परिभाषा नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ दी जाती है। हालांकि जांच एजेंसियों द्वारा बनाए गये मुकदमों का अंतिम फैसला सर्वोच्च अदालत करती है जहां हमने देखा है कि जुर्म के आरोप से बरी होने का फैसला आते-आते मुजरिम की उम्र का बड़ा हिस्सा जेल की कोठरियों में बीत जाता है। व्यवहार में अक्सर देखा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र, सरकार के प्रत्येक विरोध को 'कानून-व्यवस्था की समस्या' के रूप में देखने लगता है। इन एजेंसियों को विरोध का हर स्वर हिंसा फैलने की आशंका वाला लगता है। जांच एजेंसियों का काम होना चाहिए कि वह निष्पक्ष छानबीन करे। मगर यह एजेंसियां प्रत्येक मामले में खुद पक्षकार बन बैठती है। अदालतों के अनेक फैसले हैं जिनमें सामने आया कि जांच एजेंसियों ने किसी को फंसाने के लिए चयनित तरीके से सबूत खोजे या बनाए तथा उन साक्ष्यों को जानबूझ कर नज़रन्दाज़ किया जो बनाए जा रहे केस को कमजोर करता है और मुल्जिम छूट सकता है। मामला शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, कानून की धाराओं, लाठी और गिरफ्तारी के जाल में उलझा दिया जाता है। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब पुलिस और नौकरशाही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हो, राजनीतिक दबावों के आगे नतमस्तक हो और प्रशासन तंत्र में नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव हो। पुलिस, सीबीआई, ईडी या एनआईए जैसी विधिक जांच एजेंसियों का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वे निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सत्य-आधारित जांच करें। उनका कार्य किसी व्यक्ति को फंसाना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना होता है। परंतु व्यवहार में अक्सर यह देखा गया है कि जांच एजेंसियां स्वयं ही अभियोजन पक्ष का विस्तार बन जाती हैं और निरपराधता के साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं। इस प्रवृत्ति पर न्यायालयों ने भी बार-बार गंभीर टिप्पणियां की है। कानून स्पष्ट है कि जांच एजेंसी को दोष और निर्दोष-दोनों प्रकार के साक्ष्य समान ईमानदारी से एकत्र करने चाहिए। लेकिन व्यवहार में पहले गिरफ्तारी, फिर सबूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। एक बार जब एजेंसी किसी व्यक्ति को आरोपी मान लेती है, तो उसके बाद पूरी जांच उसी धारणा को सिद्ध करने में लग जाती है, जो न्याय की मूल भावना के विपरीत है। यह समस्या केवल कुछ मामलों की नहीं, बल्कि प्रणालीगत है। एक लोकतांत्रिक राज्य में जांच एजेंसी की सबसे बड़ी निष्ठा सत्ता के प्रति नहीं, बल्कि संविधान, कानून और सत्य के प्रति होनी चाहिए-यही न्याय का आधार होता है। प्रशासनिक और पुलिस तंत्र ईमानदार, सक्षम और पेशेवर हो, तब भी असहमति के प्रबंधन में सावधानी अपेक्षित होती है। लेकिन जब यही तंत्र भ्रष्टाचार, अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त हो, तब उसे असहमति पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपना लोकतंत्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। ऐसे तंत्र में कानून का प्रयोग न्याय के लिए नहीं, बल्कि सत्ता की सुविधा के लिए किया जाता है। विरोध करने वालों पर कठोर धाराएं लगाई जाती हैं, लंबी पूछताछ, हिरासत और मुकदमों के जरिए उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ा जाता है। उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि संदेश देना होता है कि, विरोध की कीमत चुकानी पड़ेगी।

असहमति और विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती हैं। जब सत्ता इन्हें सहन नहीं कर पाती, तब लोकतंत्र खोखला होने लगता है। विरोध की अभिव्यक्ति को नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ देना, विशेषकर ऐसे समाज में जो अभी सामंती सोच और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बनी रह सकती है जब सत्ता में बैठे लोग आलोचना से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें; और जब नागरिक बिना भय के अपनी बात कह सकें।

न्याय की सत्ता स्थापित करने के लिए संविधान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग रखते हुए अदालतों को नागरिक अधिकारों का अंतिम प्रहरी बनाया गया है। लेकिन जब न्याय प्रक्रिया वर्षों लंबी खिंच जाए, तब 'न्याय में देरी' स्वयं अन्याय का रूप ले लेती है। अभिव्यक्ति के कितने ही मामले ऐसे होते हैं जिनमें इसी आधार पर कोई अपराधी मान लिया जाता है कि उसका कोई वक्तव्य या भाषण विभाजनकारी है या विद्वेष फैलाने वाला है। वर्षों बाद अदालत यह निर्णय देती है कि ऐसा नहीं था। उसके खिलाफ मामला निराधार था। लेकिन तब तक उसका जीवन, करियर, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति नष्ट हो चुकी होती है। सवाल यह है कि इस क्षति की भरपाई कौन करेगा? क्या वर्षों तक मुकदमे झेलना, जेल जाना और सामाजिक बदनामी सहना ही सजा नहीं है-भले ही अंतत: बरी कर दिया जाए? कानून का भय, न्याय की धीमी गति और प्रशासनिक उत्पीड़न की ऐसी स्थिति असहमति के दमन का सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। जब विरोध को अपराध बना दिया जाता है, तब समाज में भय का लोकतंत्र जन्म लेता है। लोग चुप रहना सीख जाते हैं, प्रश्न पूछने से कतराने लगते हैं और आत्म-सेंसरशिप सामान्य व्यवहार बन जाती है। यह स्थिति किसी भी समाज के बौद्धिक और नैतिक पतन का संकेत होती है। इसके विपरीत, स्वस्थ लोकतंत्र संवाद से चलता है, जहां सत्ता आलोचना को अपने सुधार का अवसर मानती है, और असहमति को देशद्रोह नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ऊर्जा के रूप में देखती है। इस संकट से निकलने के लिए कुछ बुनियादी सुधार अनिवार्य हैं। पहला, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट, संकीर्ण न होने वाली कानूनी परिभाषाएं तय की जाएं, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। दूसरा, पुलिस और प्रशासनिक सुधार हो जिसमें उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त, जवाबदेह और नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनानाया जाए। तीसरा, अदालतों में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था, विशेषकर अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में, ताकि 'प्रक्रिया ही सजा' न बन जाए। और चौथा, समाज में लोकतांत्रिक संस्कारों का विस्तार हो जिसमें यह समझ बने कि विरोध देशद्रोह नहीं, बल्कि देशप्रेम का ही एक रूप होता है। असहमति और विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती हैं। जब सत्ता इन्हें सहन नहीं कर पाती, तब लोकतंत्र खोखला होने लगता है। विरोध की अभिव्यक्ति को नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ देना, विशेषकर ऐसे समाज में जो अभी सामंती सोच और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बनी रह सकती है जब सत्ता में बैठे लोग आलोचना से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें; और जब नागरिक बिना भय के अपनी बात कह सकें।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

भारतीय सेना का "प्रोजेक्ट नमन" : वीरों के सम्मान और परिवारों के संबल की मिसाल

15 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरतगढ़ में 100वें (नमन) केंद्र का उद्घाटन किया था

आकाश बैरवा

देश की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये केंद्र सरकार और भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन संचालित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट शहीद सैनिकों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानजनक, संवेदनशील और त्वरित सहायता प्रदान करने की एक सशक्त पहल है।

हाल ही में 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित 78 वें गौरवशाली सेना दिवस परेड समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 100वें (नमन) केंद्र का उद्घाटन किया, जो पूर्व सैनिकों को सहायता और सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और यह पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी पहल है।

एकल-खिड़की के ज़रिए मिलेगा परिजनों को मार्गदर्शन :- प्रोजेक्ट नमन का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिजनों एवं पूर्व सैनिकों को पेंशन, अनुग्रह राशि, चिकित्सा, पुनर्वास, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सेना मुख्यालयों, रेजिमेंटल सेंटरों तथा सैन्य प्रतिष्ठानों में नमन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा एकल-खिड़की प्रणाली के तहत सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका मानवीय दृष्टिकोण है। यहाँ कागजी कार्यवाही पर बल नहीं देकर शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को सम्मान, सहानुभूति और आत्मीयता के साथ सुना जाता है, जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। नमन शब्द अपने आप में आदर और श्रद्धा का प्रतीक है, जो इस पहल की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

सेना शहीद सैनिकों के परिवार के साथ :- प्रोजेक्ट नमन ने सेना और सैनिक परिवारों के बीच आपसी विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र की सेवा में बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवार स्वयं को कभी अकेला न महसूस करें। साथ ही, यह प्रोजेक्ट युवाओं में देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना को भी और अधिक सशक्त करता है।

भारतीय सेना सेवा से पहले, सेवा के दौरान और सेवा के बाद सदैव तत्पर-

समग्र रूप से, भारतीय सेना का प्रोजेक्ट नमन केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों को दिया जा रहा सम्मान और संबल है। यह प्रोजेक्ट और इसकी भावना भारतीय सेना की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें सेवा से पहले, सेवा के दौरान और सेवा के बाद सैनिकों और उनके परिवारों का सदैव ध्यान रखा जाता है।

भारतीय सेना-शौर्य एवं बलिदान की परंपरा की थीम पर गत दिवस जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट नमन के तहत सूरतगढ़ में 100वें नमन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। नमन सेंटर रक्षा पेंशनभोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाये गए हैं। इनकी शुरूआत से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को देखभाल और सहायता मिलेगी। भारतीय सेना के नमन केंद्र पूर्व सैनिकों, पेंशनभोगियों और शहीद सैनिकों के परिवारों को स्पर्श-सक्षम बैंकिंग व प्रशासनिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने वाले कॉमन सर्विस सेंटर हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य रक्षा समुदाय को डिजिटल सेवाएं प्रदान कर उनकी सहायता और कल्याण सुनिश्चित करना है।

स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेंशन संबंधी जानकारी, सरकारी कागजी कार्रवाई और शिकायत निवारण में मदद करना है। यह केंद्र पूर्व सैनिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाते हैं, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते है। पहले चरण में दिल्ली, लेह, लखनऊ, जोधपुर सहित 14 प्रमुख स्थानों पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। नमन सेंटर रक्षा पेंशनभोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाये गए हैं। इनकी शुरूआत से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को देखभाल और सहायता मिलेगी।

–आकाश बैरवा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

'सबका साथ, सबका विश्वास' के आधार पर बने यूजीसी विनियम

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

यूजीसी विनियम 2026 का विवाद उन तीन चिंताओं की याद दिलाता है जिन्हें डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सही तरीके से उजागर किया था। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद, भारत को क्रांति के खूनी तरीकों को छोड़ देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब संवैधानिक तरीके खुले हैं, तो असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का पक्का रास्ता है।

तीसरी बात, जिसकी उन्होंने गणतंत्र भारत से उम्मीद की थी, वह यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाया जाए? डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को समझाते हुए कहा कि इसका मतलब है "जीवन जीने का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में पहचानता है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग-अलग चीज़ों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वे त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं, इस अर्थ में कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही खत्म करना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। और न ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता कुछ लोगों का बहुत से लोगों पर वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से चीज़ों का हिस्सा नहीं बन सकतीं।"

यूजीसी विनियम को सीधे तौर पर पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की बुनियादी कानूनी समझ की कमी है। रेगुलेशन की यह योजना मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सीधा उल्लंघन है। यूजीसी गाइडलाइंस में एक बड़ा ऑब्जेक्शन सामान्य वर्ग को अन्याय करने वाला बताकर पेश करना है। इन चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम एक जीवंत लोकतंत्र में संस्थागत चेक एंड बैलेंस के साथ-साथ शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करता है। 77 साल के गणतंत्र भारत के बाद जो चिंता सामने आती है, वह यह है कि कानूनी प्रावधान प्रगतिशील होने चाहिए, न कि प्रतिगामी। साथ ही, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को अलग-अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि भाईचारा उस पिरामिड का आधार है जहां समानता और स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश की जाती है। मौजूदा केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, लेकिन यूजीसीविनियम इसके बिल्कुल उलट हैं। ऐसी विफलता के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है, साथ ही गलती करने वाले अधिकारियों और इस समाज विरोधी नीति को बनाने में शामिल सभी हितधारकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक ऐसा काम है जो देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है।

यह बहुत ज़रूरी है कि भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने को सही मायनों में समझा जाए। हिंदू जीवन शैली गैर-भारतीयों के लिए एक स्व-निर्मित रहस्य रही है। वर्ण व्यवस्था और जाति संरचना के बीच के अंतर को समग्र रूप से समझने की ज़रूरत है। दोनों के बीच अंतर यह है कि वर्ण व्यवस्था इंसान के जन्मजात गुणों की बात करती है, जबकि जाति व्यवस्था की नींव परिवार में जन्म पर आधारित है। संतों, समाज सुधारकों के माध्यम से हिंदू धर्म का सुधारवादी स्वभाव हिंदू जीवन शैली की पहचान रहा है। प्राचीन भारत में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, मध्यकाल में गुरु नानक और कबीर और आधुनिक भारत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद इस बात का प्रमाण हैं कि हिंदू हमेशा सुधारों के लिए खुले रहे हैं।

संविधान योजना में अस्पृश्यता पर रोक और वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई स्वतंत्रता और समानता के साथ भाईचारे को बढ़ावा देने का एक और उदाहरण है। हिंदू धर्म के आलोचक अक्सर बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने की गलती कर बैठते हैं। शुरुआत में आरक्षण के प्रावधान सिर्फ़ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए थे। इसके बाद शिक्षा, रोज़गार और चुनावी भागीदारी में आरक्षण के लाभार्थियों के समूह में अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग-अलग आयोग यह दिखाते हैं कि आंकड़ों में डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ज़मीनी स्तर पर लागू होने के बारे में जानकारी मिल सके। इससे यह निष्कर्ष और मांग भी सामने आती है कि एक अलग आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आयोग बनाया जाए। इसे या तो संवैधानिक संशोधन करके या वैधानिक निकाय के माध्यम से अस्तित्व में लाया जाए। यूजीसी विनियम 2026 के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अत्याचार अधिनियम का अनुभव इस बात को साबित करता है। 2026 में सामान्य वर्ग को समाज में हावी दिखाना एक मिथक है। पीरियोडिक लेबर रिपोर्ट और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि सामान्य वर्ग की स्थिति उतनी ऊंची नहीं है जितनी अक्सर वोट बैंक की राजनीति के भाषणों में बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जय सिंह की यूजीसी विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नकारात्मक प्रतिक्रिया कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वह बयानबाज़ी करने वाले समूह का हिस्सा मानी जाती हैं।

भेदभाव की छिटपुट घटनाओं को मीडिया में ज़रूरत से ज़्यादा जगह दी जाती है, जिससे एक ऐसा नैरेटिव बनता है जो ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल उलट है। आज भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से हैं। अब तक अनुसूचित जाति के दो सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। वर्तमान प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। ये तीनों पद संवैधानिक प्रकृति के हैं, जो 1950 से 2026 तक गणतंत्र भारत की यात्रा को दर्शाते हैं। इसलिए, सकारात्मक कार्रवाई प्रगतिशील होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की त्रिमूर्ति में संतुलन बनाए, जिससे भारत के सभी नागरिकों की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे।

भारत दुनिया के सभी बड़े धर्मों की जन्मभूमि रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन के शाश्वत सिद्धांतों में लौकिक चीज़ों के एकीकरण, आत्मसात और संश्लेषण जैसी खास विशेषताएं हैं। भारत दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का गवाह रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्ञान के मंदिरों को अस्वस्थ जातिगत राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। यूजीसीविनियम बनाने वालों को सबकासाथ, सबका विकास का नारा और रवींद्रनाथ टैगोर की कविता याद रखनी चाहिए –

जहां मन बिना किसी डर के हो और सिर ऊंचा हो
जहां ज्ञान आज़ाद हो
जहां दुनिया को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा गया हो
संकीर्ण घरेलू दीवारों से
जहां शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हों
जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपने हाथ बढ़ाता हो
जहां तर्क की साफ धारा
पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तान की रेत में अपना रास्ता न खो दे
जहां मन तेरे द्वारा आगे बढ़ाया जाए
हमेशा बढ़ते विचारों और कामों की ओर
आज़ादी के उस स्वर्ग में, हे मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ।

–सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

भीलवाड़ा के शंभूगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 साल से नहीं हुआ क्रमोन्नत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के शंभूगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। 30 साल पहले जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, वह आज भी उसी स्थिति में है, जबकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। बजट सत्र नजदीक आते ही अब ग्रामीणों ने अस्पताल को क्रमोन्नत करने और एंबुलेंस सेवा शुरू करने की मांग तेज कर दी है।

शंभूगढ़ का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले तीन दशकों से अपने उद्धार की राह देख रहा है। 30 वर्ष पूर्व तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस केंद्र का उद्घाटन किया था। उस वक्त की जरूरत के हिसाब से यह पर्याप्त था, लेकिन आज शंभूगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय बन चुका है और जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके, अस्पताल का दर्जा नहीं बढ़ा। संसाधनों की कमी और सीमित स्टाफ के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर बीमारी होने पर ग्रामीणों को इलाज के

■ 30 साल पहले जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, वह आज भी उसी स्थिति में है, जबकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है

लिए आसींद या गुलाबपुरा के चक्कर काटने पड़ते हैं। गौरतलब है कि 10 हजार की आबादी वाले शंभूगढ़ कस्बे की सेहत की जिम्मेदारी केवल एक डॉक्टर के कंधों पर है। आपातकालीन स्थिति हो या प्रसव पीड़ा, डॉक्टर की अनुपलब्धता या संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को अक्सर रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस बार स्थानीय विधायक जबर सिंह सांखला से भी गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार उनकी सुध लेगी और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार समस्या सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। शंभूगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग 148- के नजदीक स्थित है, जहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। कस्बे में 108 एंबुलेंस की सुविधा न होने के कारण, दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सकता, जिससे कई बार घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल के क्रमोन्नयन के साथ ही यहाँ 108 एंबुलेंस की स्थाई तैनाती की जाए, ताकि घायलों और गर्भवती महिलाओं की जान बचाई जा सके।

राशिफल

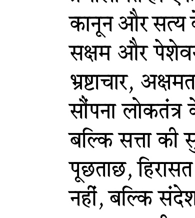

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 4 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:13 तक, अतिगंड योग रात्रि 1:04 तक, वणिज करण दिन 12:25 तक, चन्द्रमा रात्रि 4:20 से कन्या राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग रात्रि 10:13 तक है। भद्रा दिन 12:25 से रात्रि 12:10 तक रहेगी। आज हर्षल मार्गी प्रात: 8:05 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:59 तक, शुभ 11:19 से 12:41 तक, चर 3:24 से 4:45 तक, लाभ 4:45 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:15, सूर्यास्त 6:06

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

सिंह
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कुंभ
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

मीन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

संक्षिप्त

स्कूटी पा कर छात्राओं के खिले चेहरे

गंगापुर सिटी, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं को स्कूटी बांटी गईं। यह वितरण कार्यक्रम एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान तोमर ने कहा कि यह स्कूटी योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह योजना छात्राओं का मनोबल बढ़ाती है और समाज में सकारात्मक संदेश देती है। इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. सुमित्रा मीना ने कहा कि छात्राओं को स्कूटी प्रदान करना कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उनसे महाविद्यालय से संबंधित किसी भी समस्या के लिए सीधे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करने का आग्रह किया। कॉलेज प्रिंसिपल ने यह भी जानकारी दी कि सत्र 2023-24 की लाभार्थी सूची में शामिल कुछ छात्राओं ने बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं। ऐसी छात्राओं को 5 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे, अन्यथा उन्हें योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

पूर्व विधायक सुरेश मीणा की घर वापसी

करौली, (निसं)। करौली के पूर्व विधायक सुरेश मीणा ने अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी की। पूर्व विधायक सुरेश मीणा पूर्व में करौली विधानसभा क्षेत्र से बसपा में शामिल होकर वर्ष 2008 में विधायक का चुनाव लड़ा था और बसपा से विधायक बने देखने लायक यह है कि बसपा से विधायक बनने के बाद विधानसभा सदन मैं हाथी पर सवार होकर पहुंचे थे पूरे 5 साल के कार्यकाल में बसपा में ही बने रहे उसके बाद वर्ष 2013 में फिर से करौली विधानसभा का चुनाव लड़ा। जिसमें उनका हर का मुंह देखना पड़ा उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में उन्हें टिकट नहीं मिला अब फिर से पूर्व विधायक मीणा ने अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ बसपा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल प्रदेश अध्यक्ष बारूपाल स्टेट कोऑर्डिनेटर भगवान सिंह बाबा स्टेट कोऑर्डिनेटर बनवारी लाल बैरवा की उपस्थिति में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए घर वापसी की घर वापसी करने पर बसपाइयों ने खुशी जाहिर की।

मावठ के बाद तापमान में गिरावट

गंगापुर सिटी, (निसं)। क्षेत्र में मावठ के बाद मौसम में ठण्ड का असर लगातार बना हुआ है। मंगलवार को दूसरे दिन भी सुबह के समय शहर और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता घटकर 50-60 मीटर तक सीमित हो गई। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। मुख्य सड़कों के साथ-साथ आंतरिक मार्गों पर भी वाहनों की आवाजाही धीमी रही। मावठ के बाद तापमान में आई गिरावट मंगलवार को भी बरकरार रही। मौसम विभाग के अनुसार, गंगापुर सिटी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के बढ़ते असर के कारण सुबह के समय लोग देर तक घरों में ही रहे, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई। कोहरे और सर्दी के कारण बाजार भी सामान्य दिनों की तुलना में देरी से खुले।

संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ

गंगापुर सिटी, (निसं)। आशान्वित ब्लॉक में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कानाराम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि यह अभियान एक समन्वित, डेटा-आधारित और परिणामोन्मुखी पहल है, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। उन्होंने यह भी बताया कि संपूर्णता अभियान 1.0 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गंगापुर सिटी ब्लॉक को सिल्वर मेडल मिला था। अभियान 2.0 के तहत कुल 6 प्रमुख इंडिकेटर निर्धारित किए गए हैं। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के चार, पशुपालन विभाग का एक और शिक्षा विभाग का एक इंडिकेटर शामिल है। इन सभी संकेतकों पर अप्रैल 2026 तक शत-प्रतिशत संतृप्ति के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाएगा। इस अभियान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, कुपोषण की रोकथाम, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास की कुंजी : सीताराम गुप्ता

■ समधारा गांव में आवासीय लाइब्रेरी का शुभारंभ

भरतपुर, (निसं)। डीग जिले जुरहरा तहसील क्षेत्र का समधारा गांव में खुली हुसैना आवासीय लाइब्रेरी का उद्घाटन समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने किया। यह लाइब्रेरी अपने प्रकार की मेवात क्षेत्र की पहली ऐसी आवासीय अध्ययनशाला है, जहां छात्र पूरी रात ठहरकर शांत एवं सुरक्षित वातावरण में अध्ययन कर सकेंगे। सुबह छात्र अपने घर जाकर दैनिक कार्यों के बाद पुनः स्कूल के लिए निकल जाते हैं। छात्रों को निरंतर और केंद्रित अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल ग्रामीण स्तर पर अत्यंत सराहनीय मानी जा रही है।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे युवक आज गैर-सामाजिक गतिविधियों से दूर होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र का सामाजिक वातावरण निरंतर बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास की कुंजी है और मेवात जैसे क्षेत्र में इसका विस्तार अत्यंत आवश्यक है।

गुप्ता ने बताया कि मेवात क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल होना अनिवार्य है। इस दिशा में समृद्ध भारत अभियान द्वारा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गुप्ता ने यह भी बताया कि वे जुरहरा के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए संबंधित विभागों से संपर्क कर ठोस पहल कर रहे हैं ताकि स्थानीय युवाओं की औद्योगिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट, अलवर के संस्थापक सदस्य सौरभ खान ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हुसैना आवासीय लाइब्रेरी निश्चित ही क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षिणक संसाधन बनेगी, जिससे पढ़ाई का सकारात्मक माहौल निर्मित होगा। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज मेवात जन जागृति अभियान के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता एम. जुबेर खान ने कहा कि अभियान के सतत प्रयासों से मेवात क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है तथा अपराधों में कमी देखी जा रही है। युवाओं में शिक्षा के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है, जो समाज के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। समारोह के दौरान महमूद खान, अख्तर हुसैन, मा. इकबाल खान, साजिद खान एडवोकेट, डॉ. आरिफ, अताउल्ला खान, अयूब खान, मा. मम्मनद्दीन, सोनू चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे और ऐसे सामाजिक प्रयासों की सराहना की।

प्रारंभ में लाईब्रेरी के संचालक मुबारिक खान ने अतिथियों का स्वागत किया। समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सीताराम गुप्ता, आरिफ प्रधान, महमूदा खान सहित कई स्थानीय सहयोगियों द्वारा 11-11 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। यह जनसहयोग इस बात का प्रतीक है कि ठाामीण समाज शिक्षा के उत्थान में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाना चाहता है।

सार-समाचार

गौशाला निर्माण हेतु सौंपा ज्ञापन

सूरौठ, (निसं)। बजरंग एवं गौ सेवा समिति सूरौठ की ओर से तहसील क्षेत्र में नवीन गौशाला निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर करौली के नाम तहसीलदार संजीव धाकड सूरौठ को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया समिति अध्यक्ष लोकेश शर्मा उर्फ गौरी पंडित ने ज्ञापन में बताया कि सूरौठ कस्बे एवं आसपास के ठाामीण क्षेत्रों में आवारा एवं निराश्रित गौवंश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है तथा किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में उपयुक्त एवं सुव्यवस्थित गौशाला का अभाव है, जिसके चलते बेसहारा गौवंश खुले में घूमने को मजबूर हैं। इससे आमजन, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, सर्दी, गर्मी व वर्षा के मौसम में गौवंश के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि सूरौठ क्षेत्र में उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर शीघ्र गौशाला निर्माण कराया जाए, जिससे निराश्रित एवं घायल गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सके। समिति ने यह भी आठाह किया कि गौशाला संचालन हेतु आवश्यक संसाधन, चारा, पानी एवं चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। समिति सदस्यों ने बताया कि गौशाला निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी तथा गौवंश संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की मांग की।इस अवसर पर समिति अध्यक्ष लोकेश शर्मा,तुशाल गौड सहित अनेक कार्यकर्ता व गौसेवक उपस्थित रहे।

समागम में कार्यकर्ताओं की रही भागीदारी

करौली, (निसं)। अलवर जिले के गंज खेरली में आयोजित भव्य क्षित्रय समागम में करौली जिले के राजपूत समाज ने एकजुटता और संगठन शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया करौली जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बसों एवं निजी बाहनों द्वारा समागम स्थल के लिए रवाना होकर भाग लिया श्री राजपूत सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट ऊधो सिंह जिला संगठन मंत्री अजित सिंह टटवाई देवी सिंह बदनपुरा कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मचानी तहसील अध्यक्ष चौरजी सिंह करणी सेना के संभाग अध्यक्ष सुधीर सिंह विनेगा महेश सिंह पूर्व सरपंच रामपुर के नेतृत्व में राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में गंज खेरली पहुंचे कार्यक्रम के संबंध में ऊधो सिंह एडवोकेट ने बताया कि इस क्षित्रय समागम में पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों से क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण यूजीसी विनियम के विरोध राजपूतों की संख्या बल के अनुपात में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विधानसभा का टिकट नहीं दिए जाने एवं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आनुपातिक रूप से संगठनात्मक सहभागिता नहीं होने तथा समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण एवं मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श और मंथन किया गया उन्होंने बताया कि राजपूत समागम मैं करौली जिले के अनेक प्रमुख पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह नरेश सिंह सत्येंद्र सिंह रामवीर सिंह मोटू रामपुर राम सिंह रामेंद्र सिंह करौली ठाामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष चरण सिंह गजेंद्र सिंह राधा मोहन सिंह सहित बड़ी संख्या में विनेगर मचानी कोटा चैनपुर भैंसावट भगतपुरा मंगरी रामपुर फतेहपुर खनपुरा केशपुर महोली मनोहरपुर काशीपुरा सेंगरपुरा मांची हरनगर के साथ करौली शहर के राजपूत समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भरतपुर, (निसं)। अभिमन्यु सिंह भदौरिया, प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश कांठोस (शिक्षक प्रकोष्ठ) के आव्हान पर जिलाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ भरतपुर सुभाष कुन्तल के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी, जन कल्याणकारी गांव गरीब की योजना मनरेगा का नाम बदलकर वीबीराम जी करने के विरोध में तथा उसे यथावत रखने के लिए शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय डॉ. दयाचंद पचौरी शहर अध्यक्ष कांठोस, भरत गादौली प्रदेश वरि0 उपाध्यक्ष, संरक्षक मदन मोहन शर्मा, रामेश्वर दयाल प्रदेश सचिव, चन्द्रभान फौजदार महासचिव भरतपुर, रसीद खां, वरि0 उपाध्यक्ष, रेनूदीप गौड, सूरज सिंह, गजराज सिंह फौजदार उपस्थित रहे।

प्रशिक्षणार्थियों ने किया फार्म विजिट

भरतपुर, (निसं)। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार के तत्वाधान में पंजाब नैशनल बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर द्वारा 10 दिवसीय मशरूम कल्टीवेशन प्रशिक्षण पीएनबी मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार के नेतृत्व में चल रहा है जिसके अंतर्गत भरतपुर एवं डीग जिले के 32 पुरुष प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं प्रशिक्षण के दौरान डोमेन स्किल ट्रेनर मनोज कुमार द्वारा मशरूम की विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी दी गई जैसे बटन मशरूम (भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला सफेद मशरूम), ऑयस्टर मशरूम (यह गहरे भूरे या सफेद रंग के होते हैं), मिल्की मशरूम (भारत में गर्म मौसम के लिए उपयुक्त), पैडी स्ट्रॉ मशरूम (चावल के भूसे पर उगाया जाने वाला), शिटाके मशरूम (आमतौर पर एशियाई व्यंजनों में प्रयुक्त) साथ ही मशरूम उगाने की सम्पूर्ण विधि एवं प्रैक्टिकल भी करवाया गया।

राधिका नगर कॉलोनी में नहीं पहुंचा चंबल का पानी

■ कॉलोनीवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

भरतपुर, (निसं)। राधिका नगर कॉलोनी रोड नंबर रेलवे फाटक संख्या 38 से 39, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नंबर 57, गिर्राज कैनाल क्षेत्र में बसी कॉलोनी में आज तक चंबल पेयजल की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इस कॉलोनी में लगभग 200 से 300 मकान हैं, जहां के निवासी वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की पाइपलाइन के लिए वे कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में कॉलोनीवासी आसपास के इलाकों से सिर पर पानी भरकर लाते हैं, इस दौरान कई बार उन्हें लोगों की फटकार भी झेलनी पड़ती है। वर्तमान में ठााम मडरपुर से मोती झील तक गिर्राज कैनाल पर कार्य चल रहा है। कॉलोनीवासियों का कहना है कि यदि इसी दौरान यहां चंबल जल की पाइपलाइन बिछा दी जाए, तो क्षेत्र के लोगों को स्थायी रूप से पानी की सुविधा मिल सकती है। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर कॉलोनीवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय डॉ. दयाचंद पचौरी, इंजीनियर जीवनलाल शर्मा, निरंजन लाल पचौरी, प्रेम सिंह (पीटीआई), बने सिंह (कैप्टन तुहिया), नरेंद्र जाटव, लाखन सिंह, ताराचंद बघेल, अशोक बघेल, प्रताप सिंह, राधारानी, जगवीर सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

साइबर अपराध व साइबर फ्रॉड से बचने का दिया प्रशिक्षण

करौली, (निसं)। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती बिजलपुर गांव में किशोरी युवतियो को आत्मविश्वास एवं शारीरिक शर्मिंदगी पर फेस टू फेस प्रशिक्षण आयोजित हुआ जिसमें जिला प्रशासन बाल अधिकारिता विभाग एवं एक्शनएड यूनिसेफ करौली द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया एक्शन एड यूनिसेफ करौली के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बेरवा ने बताया कि किशोरी युवतियों को लैंगिक भेदभाव सेल्फ एस्टीम और बॉडी कॉन्फिडेंस पर कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में आत्मसम्मान आत्मविश्वास बढ़ाने और हानिकारक जेंडर मानदंडों को चुनौती देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किशोर को सकारात्मक शारीरिक छवि दीक्षित करने समाज में व्याप्त वीडियो को समझना और अपने शरीर के प्रति आत्मविश्वास महसूस करने के लिए सशक्त बनाना है प्रशिक्षण में कॉमिक्स बुक सामग्री का उपयोग किया गया जिससे किशोरावस्था के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों को समझने में मदद मिलती है प्रशिक्षण से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता किशोरो में अपने शरीर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा दिया गया मीडिया के आदर्श रूपों लिंग आधारित रूढ़ियों और शारीरिक बनावट से जुड़ी हानिकारक धारणाओं को चुनौती देना सिखाया किशोरो को अपने शरीर के साथ सहज रहने और सामाजिक दबाव का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया समाज में फैली लिंग भेद से जुड़ी वीडियो और मान्यताओं को पहचाना और उन्हें चुनौती देना सिखाया गया जिससे किशोरो में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित हो सके जो अकादमिक विकास में भी सहायक हो जिला समन्वयक बैरवा ने प्रशिक्षण में किशोर को सकारात्मक रूप से विकसित होने में मदद करना उन्हें समाज में व्याप्त नकारात्मक सोच से निकालने और अपने आप को स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाने एवं किशोरावस्था के दौरान आत्मविश्वास की कमी नकारात्मक शारीरिक छवि और सामाजिक दबाव से निपटने हेतु प्रेरित किया गया। एक्शन एड संगठन के स्वयंसेवक जगदीश जाट ने किशोरी युक्त को साइबर अपराध साइबर फ्रॉड सहित बाल मैत्री पूर्ण अधिकारों की जानकारी देकर बाल अधिकारों के संरक्षण पर किशोर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।

ठेका सफाई कर्मियों को संविदा पर भर्ती करवाने की मांग

रूपवास/भरतपुर, (निसं)। कस्बे की नगरपालिका में ठेके पर लगाए गए सफाई कर्मचारियों ने पार्षद मिथुन बाल्मीकि के नेतृत्व में रैली निकाल मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी विष्णु बंसल को दिया।

सफाई कर्मचारियों ने उपखण्ड अधिकारी विष्णु बंसल को दिए ज्ञापन में लिखा कि राजस्थान की नगरीय निकाय व नगरपालिकाओ मे जो सफाई कार्मिक ठेकेदारी पर सफाई कार्य कर रहे है। सर्वप्रथम उन्ही कार्मिको को आगामी आने वाली संविदा भर्ती मे प्राथमिकता दी जावे। जो कार्मिक वास्तविकता से सडको पर सफाई का कार्य पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रहे है। जिन्होने कोरोना जैसी घातक माहमारी के समय अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपनी सेवा दी है। उन्हें ही प्राथमिकता दी जाए। आने वाली सफाई भर्ती को संविदा पर करने की कृपा करें। क्येकि सफाई कर्मचारी का ठेका पद्धित मे लगातार शोषण होता आ रहा है। हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते है साथ ही नव गठित नगरपालिकाओ मे भी संविदा पद स्वीकृत करें जिससे बाल्मिकी समाज को रोजगार का अवसर मिले। ठेके पर लगाए गए सफाई कर्मचारियों को समय तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इस अवसर पर आरती, राजू, पूनम, नरेश, राजू, रजनी, विशाल, भारती, डालचंद, माइकल, भोले राम आदि मौजूद रहे।

एडवोकेट माधोसिंह मदेरणा बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर समाज एवं विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले माधोसिंह मदेरणा (पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएषन समिति भरतपुर) को संयुक्त राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच भारत के प्रति किये गये उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा नवीन दायित्व प्रदान किये जाने पर जिला प्रभारी एडवोकेट तेजवीर सिंह व समृद्ध भारत अभियान के निर्देषक सीताराम गुप्ता के संयुक्त तत्वावधान में भारी संख्या में उपस्थित अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उक्त नियुक्ति पर एडवोकेट माधोसिंह मदेरणा का पारम्परिक साफा व शॉल दुपट्टा पहनाकर, पुष्प मालाऐं व स्मृति चिह्न भेंट कर सभी अधिवक्ताओं द्वारा बधाई देते हुए स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएषन समिति भरतपुर के अध्यक्ष के.के. उपाध्याय, प्रदेष अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच धनेन्द्र कुमार पाण्डेय, दुश्यंत सिंह मदेरणा आदि मौजूद रहे।

वार्षिक उत्सव का आयोजन

सूरौठ, (निसं)। तहसील के समीपवर्ती गांव विजयपुरा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में मंगलवार को वार्षिक उत्सव, पूर्व विद्यार्थी मिलन, भामाशाह सम्मान, प्रतिभा सम्मान एवं खेल दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक, पूर्व छात्र एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह सोलंकी रहे।

चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की जेल

गंगापुर सिटी, (निसं)। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 ने आरोपी रामदयाल सिंह खारवाल को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास और पीड़ित को 8 लाख रुपए प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी प्रतिकर राशि अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 2 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह अहम फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 सुनीता यादव ने सुनाया।

पीड़ित के वकील मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि यह परिवाद वादी मुजाहिद द्वारा 14 सितंबर 2020 को प्रस्तुत किया गया था। परिवाद के अनुसार आरोपी रामदयाल सिंह खारवाल ने 16 जुलाई 2019 को परिवादी से 6 लाख रुपए उधार लिए थे। इस ऋण के एवज में अभियुक्त ने भारतीय स्टेट बैंक, गंगापुर सिटी के 2 चेक दिए थे, जिनमें प्रत्येक की राशि तीन-तीन लाख रुपए थी और दोनों की तिथि 12 फरवरी 2020 थी। परिवादी ने इन दोनों चेकों को भुगतान के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉलेज रोड, गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया। हालांकि, बैंक ने 13 मई 2020 को इन चेकों को "एक्सीड अरेंजमेंट" के कारण अनादरित कर दिया।

धौलपुर से गंगापुर सिटी रेल परियोजना के विलंब की जवाबदेही के लिए विधिक नोटिस

करौली, (निसं)। क्षेत्रीय विकास मंच समिति गंगापुर सिटी की ओर से एडवोकेट तनवय श्रीवास्तव ने धौलपुर गंगापुर सिटी रेल परियोजना की क्रियान्विति के लिए अनावश्यक विलंब के लिए रेलवे बोर्ड एवं संबंधित अधिकारियों को विधिक नोटिस दिया है।

विधिक नोटिस में कहा गया है कि धौलपुर गंगापुर सिटी रेल परियोजना 2010-11 में स्वीकृत हुई थी ,जिसे दो चरणों मैं पूरा किया जाना था परियोजना की स्वीकृति के बाद 7 फरवरी 2013 को सरमथुरा में शिलान्यास किया गया था। गंगापुर सिटी एवं करौली की रेल विकास समितियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार धौलपुर से सरमथुरा तक 212.23 करोड रुपए का बजट जारी किया गया तथा बाद में भी पर्याप्त बजट जारी किया गया था पर्याप्त बजट एवं पर्याप्त समय प्राप्त होने के बावजूद भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (महाप्रबंधक) उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की जबाबदेही बनती है कि आज तक प्रथम चरण का कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो सका

करौली जिले के निवासी जितेंद्र कुमार मित्तल द्वारा 15 दिसंबर 25 को मांगी गई जानकारी से पता चलता है कि परियोजना के प्रथम चरण का काम मार्च 2028 तक पूर्ण किया जाएगा द्वितीय चरण के बारे में महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के डिप्टी चीफ इंजीनियर आगरा मंडल द्वारा जवाब दिया गया है कि द्वितीय चरण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है डीपीआर स्वीकृत होने के बाद रेलवे लाइन मार्ग का विवरण एवं नक्शा उपलब्ध कराया जा सकेगा यह जवाब भ्रमित करने वाला है, स्पष्ट कुछ भी बताया गया नहीं है सत्यता यह है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा द्वितीय चरण की परियोजना रिपोर्ट 22 माह पूर्व रेलवे बोर्ड को भेजी गई थी ,लेकिन आज तक रेलवे बोर्ड द्वारा डीपीआर स्वीकृत नहीं की गई है और रेलवे बोर्ड में लंबित है चूंकि जब डीपीआर पहले तैयार हो चुकी है, केवल उसे रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाना शेष है तो डीपीआर को पुनः तैयार किए जाने की बात गलत एवं भ्रामक है। रेलवे बोर्ड एवं अन्य अधिकारियों के गैर जिम्मेदारान रवैया से उक्त परियोजना ठंडे वस्ते में जाती दिख रही है पहले ही परियोजना के द्वितीय चरण में अत्यधिक समय लग चुका है प्रथम चरण में किए गए भारीव्यय का लाभ तब तक नहीं मिलेगा, जब तक दूसरे चरण की क्रियान्विति का कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता।

परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ करवाने के लिए विभिन्न संगठनों तथा सांसद भजन लाल जाटव एवं हरिश्चंद्र मीणा द्वारा लोकसभा में बजट के दौरान डीपीआर स्वीकृत की मांग उठाई थी लेकिन उसके पश्चात द्वितीय चरण के कार्य में रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबंधक एनसीआर की प्रशासनिक शिथिलता के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है। दिनांक 16/06/2025 को वेणुगोपाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से परियोजना संबंधी सूचना मांगने पर महाप्रबंधक एनसीआर द्वारा जवाब दिया गया कि परियोजना के द्वितीय चरण डीपीआर तैयार होने से पूर्व फाइनल लोकेशन सर्वे किया जाकर स्वीकृत हो चुका है, जबकि इसी परिप्रेक्ष में 26/12/25 को जितेंद्र कुमार मित्तल निवासी करौली को दिए जवाब में अंकित किया है कि द्वितीय चरण के एलाइनमेंट प्लान में जनप्रतिनिधि एवं राजस्थान शासन द्वारा बदलाव का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके अनुसार एस्टीमेट परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है इस तरह एक ही परियोजना के संबंध में दो अलग-अलग जबाब से अधिकारियों की मनमानी होना प्रतीत होता है द्वितीय चरण की सर्वे रिपोर्ट सैंक्शन होने के बाद तब्दीली करना किसी प्रकार से उचित नहीं है जनप्रतिनिधियों के दबाव में एलाइनमेंट परिवर्तन का प्रस्ताव स्वत ही निरस्त होने लायक है ऐसे तो हर सर्वे रिपोर्ट में आपत्ति आएंगी परियोजना की बिलंबता से बजट की लागत बढ़ने से रेलवे का आर्थिक नुकसान होता दिखाई दे रहा है क्षेत्र की जनता को परियोजना का लाभ नहीं मिलने की संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की बनती है जो की पूर्ण रूपेण निंदनीय है।

आध्यात्म शिविर का भण्डारे के साथ समापन

गंगापुर सिटी, (निसं)। नरसिंह कॉलोनी स्थित योगाश्रम में आयोजित तीन दिवसीय आध्यात्मिक शिविर के तीसरे दिन योगाचार्य डा दासलाल महाराज ने योग पर प्रवचन देते हुए कहा कि योग जीवन मुक्ति का सीधा व सरल मार्ग है।

योग के द्वारा मनुष्य के हृदय के बंद चक्क्षु खुल जाते है और उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। नियमित ध्यान में बैठने ओर मंत्र का जाप करने से हृदय में प्रकाश एवं मुख पर तेज झलकने लगता है। वे स्वाभाव में निर्मलता एवं मन में पवित्रता का आभास हो जाता है। वहीं व्यक्ति अपने कार्यो को करते हुए ईश्वर की ओर बढता है और धीरे धीरे सदमार्ग पर चलते हुए परमात्मा से साक्षात्कार के लिए पहुंच जाता है। उन्होने कहा कि गृहस्थ जीवन को इस लिए श्रेष्ठ माना गया है कि मनुष्य अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी उठाते हुए ईश्वर का चिंतन, मनन व ध्यान एवं योग करता है जिससे शरीर स्वस्थ्य रहने के साथ साथ मन मस्तिष्क और हृदय प्रसन्नचित्त रहते हैं।

RIICO GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान सरकार का उपक्रम

RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

सरल ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

61 कुल औद्योगिक क्षेत्र | 290 कुल भूखण्ड | 281 औद्योगिक भूखण्ड | 09 लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएमडी — प्रारम्भ तिथि: 04 फरवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 18 फरवरी, 2026 (सायं 06:00 बजे)

ऑनलाईन बिड — प्रारम्भ तिथि: 19 फरवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 23 फरवरी, 2026 (सायं 05:00 बजे)

28	आबू रोड़	01	चूरू	34	नागौर	07	उदयपुर
35	अजमेर	08	बीकानेर	07	पाली	02	जयपुर (दक्षिण)
03	अलवर	14	श्रीगंगानगर	24	झालावाड़	02	जयपुर (उत्तर)
07	भिवाड़ी-I	08	किशनगढ़	01	जालोर	22	ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर
23	भिवाड़ी-II	13	भीलवाड़ा	11	राजसमंद	02	जोधपुर
06	बोरानाडा	01	जयपुर (ग्रामीण)	20	कोटा	03	सवाईमाधोपुर
05	घिलोठ			03	नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान
या
रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राज.संवाद/सी/25/19083

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएपः +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in
आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें
https://riico.rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in

खेजड़ी बचाओ आंदोलन का वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने समर्थन किया

बीकानेर में 363 संतों के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने अनशन-धरना शुरू किया, लोग आंखों पर पट्टी बांधकर धरने पर बैठे हैं

बीकानेर में खेजड़ी बचाओं आन्दोलन के समर्थन में महापड़ाव मंगलवार को भी जारी रहा।

- खेजड़ी बचाने के लिये सख्त कानून बनाने सहित दो सूत्रीय मांगों को लेकर पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है
- कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने आन्दोलन का समर्थन करते हुए जल्द कानून बनाने की मांग दोहराई
- पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी आंदोलन का समर्थन किया, राजे ने सोशल मीडिया पर खेजड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की
- संतों की स्पष्ट मांग है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता, तब तक एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए

बीकानेर, (निसं)। खेजड़ी बचाने के लिये सख्त कानून बनाने सहित दो सूत्रीय मांगों को लेकर पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते 363 संतों के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने अनशन-धरना शुरू कर दिया है। लोग आंखों पर पट्टी बांधकर अनशन-धरने पर बैठे हैं। संतों के साथ कई भक्तों ने खाना छोड़ने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार खेजड़ी बचाने के लिये चल रहे इस आन्दोलन को अब नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेजड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा कि मैं भी खेजड़ी की पूजा करती हूं। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और ओरण (गोचर भूमि) को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी इस आन्दोलन का समर्थन करते हुए जल्द कानून बनाने की मांग दोहराई है। पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि सीएम भजनलाल चाहे तो आज ही विधानसभा में घोषणा कर सकते हैं कि ये कानून बनाया जाएगा। दो दिन के अंदर कानून बनना चाहिए। वहीं आन्दोलन को समर्थन करने के लिये नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के भी एक दो दिन में महापड़ाव स्थल पर आने की संभावना है।

संत सच्चिदानंद ने बताया कि पत्थर कठोर होता है, उसे तोड़ने के लिये कठोर बनना पड़ता है। सरकार मान नहीं रही है, इसलिए साधू-संत पर्यावरण प्रेमियों के साथ अनशन पर बैठे हैं। सरकार एक आदेश जारी कर दें कि खेजड़ी सहित 50 साल पुराना पेड़ किसी भी परियोजना में काटा न जाए। यदि पेड़ काटता है, उस स्थान के अधिकारियों को पाबंद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार का एमओयू हुआ है, उसे निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर बार आश्वासन दे रही है कि कानून बनाएंगे, किन्तु कानून बना नही रही है। जब तक सरकार यह नहीं बताएंगी आखिर कब कानून बनेगा, तब तक अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिये सिर कटाए थे। हम कानून नहीं बनाने पर प्राण त्याग देंगे। साधू-संतों ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य पेड़ बचाना है। सनातन की सरकार है, परन्तु उस सरकार पर किसी प्रकार की जूं तक नहीं रेंगी। संतों की स्पष्ट मांग है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता, तब तक एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए।

राजस्थान सहित प्रदेशभर से आए प्रदर्शनकारियों के लिए बिश्नोई धर्मशाला छोटी पड़ गई। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग टैंट में ही सो गए। कुछ लोगों ने रात जागकर ही गुजारी। उधर, पुलिस प्रशासन पूरी तरह हरकत में है। कलैक्ट्रेट पर सुरक्षा के लिए एसटीएफ को तैनात किया गया है। आंदोलन से जुड़े नेताओं से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।

नोखा ने खेजड़ी कटाई रोकने पर मारपीट का आरोप

नोखा, (निसं)। सोमलसर निवासी रुपाराम जाट ने नोखा थाने में अवैध खेजड़ी कटाई, मारपीट और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा सोमवार देर रात्रि में दर्ज करवाया है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।

- खेजड़ी कटाई रोकने पर मारपीट, स्कार्पियो-थार में तोड़फोड़ की, एफआईआर दर्ज

शिकायत के अनुसार, बीते दिन 1 फरवरी को शाम 8 से 8:30 बजे के बीच रामदेवरा रोड स्थित एक सोलर प्लांट पर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे। रुपाराम जाट को सूचना मिली कि सोलर प्लांट पर खेजड़ी की कटाई हो रही है। वह कुम्भाराम और अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां नारायण राठी, ऋषभ राठी, महेंद्र सिंह, हरिकिशन पंचारिया रोड़ा और हरिकिशन इंजीनियर खेजड़ी काटते हुए मिले। जब ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। महेंद्र सिंह खेजड़ी से भरी ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गया। हरिकिशन इंजीनियर, हरिकिशन पंचारिया रोड़ा, नारायण राठी और ऋषभ राठी एक कैंपर में बैठकर भागने लगे।

उन्होंने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गाड़ी से लाठियां और रॉड निकालकर राकेश लेघा और धन्नाराम महिया के साथ मारपीट की गई, जिससे राकेश के पैर और धन्नाराम के हाथ में चोटें आईं। आरोप है कि इस दौरान रुपाराम की स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और दिनेश के साथ भी मारपीट की गई।

जयपुर में गरिमा परियोजना का शुभारंभ

- कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली, जयपुर, अजमेर एवं कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधियों को कृत्रिम अंग निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी

अजमेर/जयपुर, (निसं)। उत्तर क्षेत्रीय ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर में गरिमा परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस सेवा परियोजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। परियोजना का उद्घाटन उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर पुनीत सोहल द्वारा किया गया।

इस अवसर पर ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया की अजमेर लॉज संख्या सैंतालीस के मास्टर नितिन ओहरी ने बताया कि गरिमा परियोजना के तहत राजपूताना लॉज, जेवियर लॉज एवं कोहिनूर लॉज ऑफ इंडिया तथा उत्तर क्षेत्र के सहयोग से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली, जयपुर, अजमेर एवं कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधियों को कृत्रिम अंग निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही जिन रोगियों को कृत्रिम अंग लगाए गए, उनसे संवाद करवाया गया, जिससे उपस्थित प्रतिनिधियों को इस सेवा कार्य के सामाजिक प्रभाव की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। कार्यक्रम में अजमेर लॉज संख्या सैंतालीस से नितिन ओहरी, जय करणा एवं गजेन्द्र पंचोली ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर पुनीत सोहल, संजय मेहरा, हेमंत हंसुका, टिम्मी सोनी, आई एम एस नागपाल, वाई एस लांब, पंकज जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

Office of the Executive Engineer, PHED, Distt Rural Div I Bikaner
Email ID - eepheddn1bkn@gmail.com, Contact No. 0151-2941473

No. 4260-4285 **Notice Inviting Bid : 100-106/2025-26** Date: 27.01.2026

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 10.02.2026 upto 02.00 PM. Other particulars of bid may be visited on the Procurement Portal http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 364.75 Lacs.

UBN No. PHE2526WSRC11903, PHE2526WSRC11904, PHE2526WSRC11905, PHE2526WSRC11906, PHE2526WSRC11907, PHE2526WSRC11908, PHE2526WSRC11909

DIPR/C/1669/2026
जल सीमित है, इसकी बचत करें।

(Ram Prakash Meena)
Executive Engineer
PHED, Distt (R) Div I Bikaner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त झालावाड

क्रमांक: अधी.अभि./ज.सं.वृ.झा / निविदा-/ 2025-26/7477-7505 दिनांक :- 23-01-2026

ई-निविदा सूचना संख्या 02 वर्ष 2025–26 का संशोधन आदेश

इस कार्यालय के पत्र कमांक 7129-7157 दिनांक 13.01.2026 द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 02 वर्ष 2025-26 मे निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है।

आईटम	पूर्व निर्धारित अवधि	संशोधित अवधि
आनलाईन निविदा डाऊनलोड/ अपलोड करने की तारीख	दिनांक 16.01.2026 को प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 26.01. 2026 को सांय 6:00 बजे तक।	दिनांक 16.01.2026 को प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 03.02. 2026 को सांय 6:00 बजे तक।
बिड सिक्यूरिटी / मूल दस्तावेज इत्यादि जमा कराने का स्थान एवं दिनांक	दिनांक 27.01.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक (अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत झालावाड)	दिनांक 04.02.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक (अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत झालावाड)
ऑनलाईन वित्तीय बिड खोलने की तारीख	दिनांक 27.01.2026 को सायं 04.00 बजे	दिनांक 04.02.2026 को सायं 04.00 बजे

DIPR/C/2058/2026
अधीक्षण अभियन्ता,
जल संसाधन वृत्त, झालावाड

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जालोर

क्रमांक: अअ/जा/2025-26/3832 दिनांक: 23.01.20026

निविदा सूचना संख्या : 25 वर्ष 2025-26

NIB No. PWD2526A5324

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन व सडक निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कुल 3 कार्य जिनकी लागत राशि रू. 49.01 लाख है, अतः उक्तकार्यो के लिए ईटेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख : 28 जनवरी 2026 प्रातः 10.00 बजे से 10 फरवरी 2026, सायं 6:00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http:// eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

क्र. सं.	यूबीएन नं.	क्र. सं.	यूबीएन नं.
1	PWD2526WSOB21664	2	PWD2526WSOB21665
3	PWD2526WSOB21666		

DIPR/C/1673/2026
(शंकरलाल)
अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड,
जालोर मोबाईल 9983975907

भीलवाड़ा में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। प्रतापनगर पुलिस ने मांडल थाने के एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी पिछले दो साल से एक चोरी के मामले में वांछित चल रहा था और इस पर जिले के अलग-अलग थानों में एक दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम गोपाल गुर्जर (37) है, जो मांडल थाना क्षेत्र के जिपियाखेड़ा का रहने वाला है। गोपाल गुर्जर मांडल थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

मामला 28 फरवरी 2023 का है। शहर के मलाण क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग चांदमल तेली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके प्लॉट से चोरों ने एक केबिन, गैंती और फावड़ा चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही दो अन्य आरोपियों राकेश प्रजापत और नाहर सिंह बंजारा को गिरफ्तार कर लिया था, जो खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन गोपाल गुर्जर तब से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। गोपाल गुर्जर कोई मामूली चोर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे करीब 12 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके खिलाफ मांडल, करेड़ा, पुर और प्रतापनगर थाने में कई मामले विचाराधीन हैं। हाल ही में एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा पुराने मामलों के निस्तारण के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत सीओ सिटी सज्जन सिंह ने कार्रवाई करते हुए इसे धर दबोचा।

स्कूटी चोर गिरफ्तार

बीकानेर, (निसं)। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने स्कूटी चुराने वाले एक शख्स को पकड़ा तो उससे तीन वारदातों का खुलासा हो गया।

व्यास कॉलोनी थाना पुलिस के एसएचओ विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि 26 जनवरी को स्कूटी चोरी का केस दर्ज हुआ था। जांच पड़ताल में पता चला कि वारदात को सांगलपुरा निवासी कमल कुमार ने अंजाम दिया है। उसे गिरफ्तार कर चोरी की स्कूटी बरामद की गई। उसने इलाके में बाइक चोरी की तीन वारदातें कबूल की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर हमला किया

अजमेर, (कासं)। शहर में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पति ने कथित तौर पर पत्नी के होंठ दांतों से काट लिए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता फरीदा की शादी करीब छह वर्ष पूर्व बनारस निवासी अरमान के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों पति-पत्नी लगभग एक वर्ष तक बनारस में साथ रहे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके चलते फरीदा अपने पीहर अजमेर आकर रहने लगी। तब से वह पिछले चार-पांच वर्षों से अजमेर में ही अपने परिजनों के साथ रह रही थी।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अचानक पति अरमान बनारस से अजमेर पहुंचा। यहां दोनों पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अरमान ने आपा खोते हुए फरीदा पर हमला कर दिया और उसके होंठों को दांतों से काट लिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फरीदा की बहन सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल जेएलएन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को स्थिर बताया है, हालांकि चोट गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में षिकायत भी दर्ज करवाने की बात कही है।

मरुधरा की प्यास बुझाने वाली एक विरासत : गिरधारी की तलाई और डांगरा परिवार का गौरव

जैसलमेर। जैसलमेर जिले के सुनहरे धोरों के बीच, जहां पानी की एक-एक बूंद अमृत के समान है, वहां 211 साल पहले एक परिवार ने जनहित का ऐसा बीज बोया, जिसकी छाया आज भी जनमानस और मवेशियों को शीतलता दे रही है। यह कहानी है बांधा गांव की और अचलदास डांगरा परिवार के उन पूर्वजों की, जिन्होंने अपनी संपत्ति और समर्पण से समाज का गला तर किया।

रियासतकाल में हर किसी को निर्माण की अनुमति नहीं मिलती थी। तत्कालीन महाराजा द्वारा अचलदास डांगरा परिवार के पूर्वजों को गिरधारी की तलाई बनाने की विशेष अनुमति देना इस बात का प्रमाण है कि यह परिवार रियासत के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय परिवारों में से एक था। जैसलमेर के आधिकारिक पर्यटन पोर्टल पर यहां की जल संरक्षण परंपराओं की महत्ता को समझा जा सकता है।

जैसलमेर की शाही पगड़ी बंदील धारण किये अचलदास डांगरा।

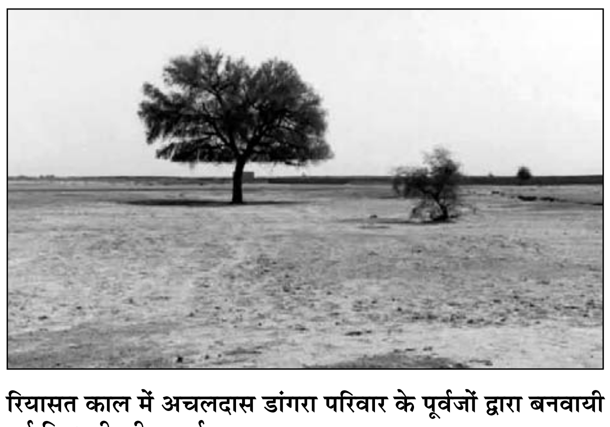

रियासत काल में अचलदास डांगरा परिवार के पूर्वजों द्वारा बनवायी गई गिरधारी की तलाई का दृश्य।

बंदील : प्रतिष्ठा का आभूषण

:-इतिहास गवाह है कि रियासतकाल में बंदील (शाही पगड़ी/पोशाक का हिस्सा) पहनने का अधिकार केवल उन खास लोगों को था जिन्होंने समाज के प्रति असाधारण योगदान दिया हो। डांगरा परिवार को मिला यह सम्मान उनके पूर्वजों के सामजिक कद और महाराजा के साथ उनके गहरे संबंधों को दर्शाता है।

आज भी जीवित है सेवा भावना

:-211 वर्षों बाद भी गिरधारी की तलाई में वर्षा का जल एकत्रित होता है। जब आधुनिक तकनीकें विफल हो जाती हैं, तब पूर्वजों द्वारा निर्मित यह पारंपरिक जल स्त्रोत आज भी ग्रामीणों और बेजुबान मवेशियों का सहारा बना हुआ है। यह तलाई केवल एक जल संरचना नहीं, बल्कि डांगरा परिवार की परोपकार परमो धर्मः की जीवित मिसाल है।

अवैध खनन में लिप्त दो जने गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोटड़ी थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने पिछले 48 घंटों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जब्त की है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी और गारनेट खनन के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया।

पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 1 जेसीबी मशीन, 10 ट्रैक्टर मय ट्रॉली, 1 डंपर और 3 सेपरेटर मशीनों को जब्त किया है। अवैध खनन और परिवहन के मामले में पुलिस ने 7 मुकदमे दर्ज किए हैं और मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यह पूरी कार्रवाई एसपी धर्मेंद्र सिंह और एएसपी राजेश आर्य के निर्देशन में हुई। वहीं, कोटड़ी थाना अधिकारी महावीर प्रसाद की टीम ने उदलियास सरहद में सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध खनन पर छापा मारकर 3 सेपरेटर मशीनें जब्त की। इसके अलावा, कोठारी नदी के सातोला का खेड़ा इलाके में अलसुबह दबिश देकर बजरी से भरे सात ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज किया गया।

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ, खण्ड-चित्तौड़गढ़
सैटेलाईट हॉस्पीटल, कलैक्ट्रेट चौराहा के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक :- मेडीकल एण्ड हैल्थ, चित्तौड़गढ़/2025-26/1667 दिनांक: 20.01.2026

ई निविदा सूचना सं. 15/20255-266MHS2526A4283

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत विद्युत/निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्दीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं, निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट WWW.dipr.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in व वेब साईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

नोट :- उपरोक्त वर्णित निविदा में आप द्वारा इस खण्ड कार्यालय के बैंक खाते में जमा करायी जाने वाली धरोहर, निविदा, एवं प्रोसेसिंग राशि संवेदक अपने फर्म के खाते से ही हस्तान्तरित करे। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

S. No.	UBN No.	S. No.	UBN No.
1	MHS2526WSOB06113	2	MHS2526WSOB06114
3	MHS2526WSOB06115	4	MHS2526WSOB06116

DIPR/C/1625/2026
(राय सिंह गुर्जर)
अधिशाषी अभियन्ता,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रेम बाईसा मृत्यु प्रकरण : एसआईटी ने निजी अस्पताल में जांच की

जोधपुर, (कासं)। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला अब तक पहेली बना हुआ है। गत 28 जनवरी से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं है और अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के करीब एक सप्ताह बाद भी मामले की सभी कड़ियां सुलझ नहीं पाई हैं। इधर इस मौत की जांच के लिए एसीपी छवि शर्मा की अगुवाई में गठित एसआईटी ने आज पालरोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल में मामले को लेकर जांच-पड़ताल व पूछताछ की।

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की जांच पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आने तक अटक गई है। बार-बार एक ही बात सामने आ रही है कि इंजेक्शन लगने से तबियत बिगड़ी। साध्वी के पिता भी यही बात बार-बार कह रहे हैं। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित किया गया विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विसरा रिपोर्ट इसी सप्ताह मिलने की उम्मीद है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि जांच में जहर की पुष्टि होती है तो पुलिस इसे हत्या मानते हुए गहन आपराधिक जांच शुरू करेगी। पुलिस जांच इस समय दो बिंदुओं पर केंद्रित है, इंजेक्शन का रिएक्शन या भोजन में किसी जहरीले पदार्थ की मिलावट। एफएसएल की रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस, एसआईटी और एफएसएल की पूरी नजर विसरा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। मामले में पुलिस की धीमी जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं और मामले में निष्पक्षता और समयबद्धता को लेकर चिंता बनी हुई है।

सूत्रों का दावा है कि दूसरी बार जब पुलिस एफएसएल के साथ आश्रम पहुंची, तो घटनास्थल क्लीन मिला। इसका मतलब यह हुआ कि कोई साक्ष्य नहीं मिले और आश्रम को यदि पुलिस ने पहले ही सील किया था तो फिर घटना स्थल पर कोई छेड़छाड़ कैसे हुई, यह भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने आश्रम के सेवादार सुरेश से बयान लिया, लेकिन अभी भी कुछ बातें अस्पष्ट हैं। प्रेम बाईसा की मौत की टाइमिंग को लेकर पिता, कंपाउंडर और अस्पताल के दावों में विरोधाभास है। पिता बीरमनाथ ने पुलिस की ओर से जब्त तीन फोन, जिनमें दो आईफोन शामिल हैं, के पासवर्ड अभी तक नहीं बताए हैं।

- जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, ताकि घटनाक्रम की सही जानकारी मिल सके
- पुलिस जांच इस समय दो बिंदुओं पर केंद्रित है, इंजेक्शन का रिएक्शन या भोजन में किसी जहरीले पदार्थ की मिलावट
- एफएसएल की रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा होने की उम्मीद है, फिलहाल पूरी नजर विसरा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है
- प्रेम बाईसा के पिता बीरमनाथ ने पुलिस की ओर से जब्त तीन फोन, जिनमें दो आईफोन शामिल हैं, के पासवर्ड अभी तक नहीं बताए हैं

मौत की जांच के गठित एसआईटी की टीम आज प्रेक्षा अस्पताल पहुंची। एसआईटी प्रभारी एसीपी छवि शर्मा खुद वहां पहुंची और जांच-पड़ताल की। उन्होंने चिकित्सक व कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम ने अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और डॉक्टरों से प्रेम बाईसा को अस्पताल लाने की परिस्थितियों को लेकर सवाल किए। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, ताकि घटनाक्रम की सही जानकारी मिल सके। इस दौरान पुलिस ने 28 जनवरी की शाम को जब बाईसा को अस्पताल लाया गया, उस दौरान की स्थिति के लिए उस दिन मौजूद कर्मचारियों को बाहर लाकर उनसे हालात पूछे। एक तरह से रिक्रिएशन कर जानना चाहा कि प्रेम बाईसा किस स्थिति में वहां आई थी। इसके बाद कर्मचारियों के साथ ही एसआईटी प्रभारी छवि शर्मा व बोरानाडा एसएचओ शकील अहमद अंदर तक गए जहां पर बाईसा को ले जाया गया। साथ ही अस्पताल संचालक डॉ. प्रवीण जैन से उपचार से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। करीब एक घंटे तक एसआईटी के सदस्य अस्पताल में रहे। एसआईटी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। जानकारी के अनुसार साध्वी प्रेम बाईसा का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था और तबीयत खराब होने पर उसे सबसे पहले यहीं पर लाया गया था।

प्रभारी एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामले का अनुसंधान करने की यह सामान्य प्रक्रिया है। हम गहनता से जांच कर रहे हैं। एसीपी ने बताया कि इस मामले में 11 लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। उनकी जानकारियों और साध्वी के पिता की दी रिपोर्ट के अनुरूप ही जांच चल रही है। मेडिकल बोर्ड ने अंतिम ओपिनियन अभी रिजर्व रखी है। साध्वी के मुंह से झाग निकले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अस्पताल से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। एसीपी ने बताया कि हम उनसे जुड़े लोगों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्महत्या थी या सामान्य मृत्यु, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर ही पता चलेगा। एसआईटी जोधपुर में प्रेम बाईसा के आश्रम व अस्पताल की पड़ताल कर चुकी है। अब जल्द ही टीम उनके परेउ स्थित आश्रम भी जाएगी। वहां पर मामले की पड़ताल की जाएगी। लोगों से भी पूछताछ कर जानकारियां जुटाएगी। जिससे कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।

उन्होंने बताया कि पुलिस को पोस्टमार्टम की शुरूआती रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट सिकुड़ा हुआ था, नाखून नीले हो गए थे। पूरी रिपोर्ट के लिए भेजे गए विसरा की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बोर्ड अपनी ओपिनियन देगा। फिलहाल पुलिस को उम्मीद है कि एक सप्ताह में विसरा की रिपोर्ट मिल जाएगी। पुलिस ने प्रेम बाईसा के बैंक खाते, सोशल मीडिया एकाउंट सभी की पड़ताल की है। पता चला है कि वह बीए अंतिम वर्ष की स्वयंपाठी छात्रा थी। पुलिस को अभी बाईसा के दूसरे फोन का पासवार्ड नहीं मिला है। उम्मीद है कि उस फोन से महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं 14, करौली
E-Mall-DLO.KAR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक : सा.न्या.अ.वि./2026/3517 दिनांक : 27/01/26

ई-निविदा - 03/2025-26

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय सान्याअवि राजस्थान जयपुर के स्वीकृति आदेश कमांक एफ7 (2) (9) (2474) -2 / रा.छा./ब.आ./ सान्या. अवि./ 2024 के राजकाज रेफरेन्स नम्बर 19517004 द्वारा करौली जिले में विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड अर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर एवं रसोई के बर्तन आदि) क्रय किये जाने है।
अतः इच्छुक रजिस्टर्ड बोनाफाईड विनिर्माता/फर्मो/संस्था/कंपनी / एजेन्सी से निम्नलिखित सामठी क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 या निर्देशानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है

S. No	Item	Estimated Cost	Bid Fees Document	RISL Processing Fee	Earnest Money
1.	करौली जिले में विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर एवं रसोई के बर्तन आदि) क्रय एवं आपूर्ति दर संविदा	15.80 Lakh	Rs.550/- (online challan to DPSW SJED KARAULI)	Rs. 500/- (online challan to MD RISL JAIPUR)	Bank DD of Rs. 31600/- to DPSW SJED KARAULI)

Bidding Schedule

Sr.No.	Subject	Date	Time
1.	e-publishing Date	27.01.2026	05:00 PM
2.	Document Download Start Date	27.01.2026	05:00 PM
3.	Document Download End Date	06.02.2026	10:00 AM
4.	Bid Submission End Date	06.02.2026	12:00 PM
5.	Online Submission of Tender Fee and Processing Fee Challan (THROUGH E GRAS SINGLE CHALLAN) and SD, A copy must be submitted physically at office.	06.02.202.6	03:00 PM
6.	Technical Bid Opening Date	06.01.2026	05:00 PM

ई-दर संविदा संबंधी शर्तें एवं ई-दर संविदा प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in & पर विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in से भी कवूदस्वंक किये जा सकते है।

NIB No.- SOC2526A0320
UBN No.- SOC2526GLRC00351
DIPR/C/2037/2026
(बबलू)
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली

गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों पर लगे प्रभावी अंकुश : मुख्यमंत्री

नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरूद्ध सख्त एक्शन लें, विशेष अभियान चलाएं : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रभावी अंकुश लगाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशे की समस्या के उन्मूलन के लिए इससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला के रूट का चिन्हिकरण करते हुए विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी और सतर्कता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना के तहत कार्रवाई की जाए तथा छोटे-बड़े सभी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए पुलिस, ड्रग्स कंट्रोलर, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां समन्वित प्रयास करें। साथ ही, उन्होंने नशे के प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी पैरवी के संबंध में निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक ली।

- **मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए**
- **प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर अपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश**

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा अपराध की जड़ है तथा समाज व परिवारों पर इसके दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए नशे के दुष्परिणामों के संबंध में विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जुड़कर पॉक्सो एक्ट एवं अन्य कानूनों के संबंध में आमजन को जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के विरूद्ध प्राथमिकता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में साइबर अपराध की घटनाएं घटित हो रही है, वहां इनसे जुड़े गिरोहों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। ये अभियान तब तक चले, जब तक संबंधित क्षेत्र में ऐसे अपराध जड़ से समाप्त नहीं हो जाए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले दो वर्षों में अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की प्रगति की प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर मॉनिटरिंग की जाए। इन मामलों में कोताही बरतने पर जिम्मेदारी तय की जाए। शर्मा ने कहा कि डिजिटल युग में अपराध भी हाईटेक होने लगे हैं। ऐसे में पुलिस भी अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए मॉडर्न पुलिसिंग को अपनाएं।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, विभिन्न जिलों से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से जुड़े।

राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद विधानसभा में हंगामा, 2 बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा था कि ''राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर डोकलाम विवाद उठाया, जो गलत है''

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा मचा। विपक्ष के विधायकों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वैल में उतरकर विरोध जताया, इस दौरान हंगामे और पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ती नोंकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही भी 2 बार स्थगित करनी पड़ी।

दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चल रही बहस के दौरान भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, वे बिना प्रकाशित हुई किताब का हवाला देकर बेवजह आरोप लगा रहे हैं और उनमें इतना विवेक नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका उल्लेख विधानसभा में नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की।

टीकाराम जूली की आपत्ति के बाद कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। शोर-शराबा बढ़ने पर सभापति ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा नहीं थर्मा

- **कृपलानी ने यह भी कहा कि ''इस राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन वे देश के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि राहुल गांधी ऐसा करते हैं। वे विदेशों में जाकर देश पर सवाल उठाते है। वे ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते है।''**
- **कांग्रेस विधायकों ने कृपलानी की इस टिप्पणी के बाद वैल में उतरकर नारेबाजी की और विरोध जताया। उन्होंने इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से विलोपित करने की मांग रखी, जिसे बाद में आसन ने स्वीकार कर लिया**

श्रीचंद कृपलानी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि, राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर डोकलाम विवाद उठाया, जो गलत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें लोकसभा स्पीकर की बात माननी चाहिए। कृपलानी ने यह भी कहा कि इस विधानसभा में कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन वे देश के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि राहुल गांधी ऐसा करते हैं। वे विदेशों में जाकर देश पर सवाल उठाते है। वे ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते है।

कृपलानी के इस बयान पर कांग्रेस विधायकों का आक्रोश और बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष ने इसे असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने वैल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई। हंगामे के दौरान कृपलानी ने यह भी कहा कि इससे पहले डोटासरा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की गई थी, जिसे कार्यवाही से नहीं हटाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनकी टिप्पणी में ऐसा क्या है, जिसे हटाया जाए। इस पर विपक्ष ने और विरोध जताया। लगातार बढ़ते हंगामे के चलते सभापति ने शाम 4 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी माहौल शांत नहीं होने पर कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। सदन में दिनभर राजनीतिक गर्मी बनी रही।

मुख्यमंत्री कल देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बहस का समय एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार की जगह 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे।

इस संबंध में मंगलवार को हुई विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में सदन के कामकाज को नए सिरे से तय किया गया। बीएसी के फैसले की जानकारी सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में दी। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का जवाब 4 फरवरी को आना था, लेकिन अब 4 और 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी। इसके बाद 5 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब देंगे।

बीएसी के निर्णय के अनुसार 6 फरवरी से 10 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी और इस दौरान सदन की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा।

एसीएस शिखर अग्रवाल ने जांची इंडिया स्टोन मार्ट की तैयारियां

जयपुर (कासं)। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने मंगलवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी पहुंचकर इंडिया स्टोन मार्ट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। यह आयोजन 5 से 8 फरवरी तक सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होगा। जिसमें देश-विदेश से स्टोन उद्योग से जुड़े प्रमुख उद्योगपति, निर्यातक, आयातक, तकनीकी विशेषज्ञ और निवेशक भाग लेंगे। शिखर अग्रवाल ने आयोजन स्थल पर अब तक की जा चुकी तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को शेष तैयारियां भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर नटवर अजमेरा, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री नरेश पारीक, सीडीओएस के वाइस चेयरमैन दीपक अजमेरा, राष्ट्रीय सचिव अंजू सिंह, सीडीओएस के सीईओ मुकुल रस्तोगी, सीडीओएस के चेयरमैन दीपक अजमेरा, अतिरिक्त महाप्रबंधक विवेक जैन, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम मौजूद रहे।

- **उन्होंने निरीक्षण के दौरान प्रदर्शनी हॉल, आगंतुक सुविधाएं, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्लानिंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की**

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने मंगलवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी पहुंचकर इंडिया स्टोन मार्ट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान प्रदर्शनी हॉल, आगंतुक सुविधाएं, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्लानिंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। एसीएस शिखर अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि देश-विदेश से आने वाले उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारियों और निवेशकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के स्टोन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। ऐसे में आयोजन की हर व्यवस्था समयबद्ध, सुव्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।

'शिव क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण के लिए परीक्षण करवाएंगे'

जयपुर (विसं)। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र शिव में नवीनीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों का परीक्षण कराकर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। दियाकुमारी प्रश्नकाल में विधायक रवीन्द्र सिंह भाटी के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही रही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये से सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के तहत शिव विधानसभा क्षेत्र में 17 कार्य प्रस्तावित किये गये थे। इनमें से सात कार्य पूर्ण हो चुके हैं, एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

उन्होंने कहा कि सड़कों का नवीनीकरण यातायात घनत्व एवं सड़कों की श्रेणी पर निर्भर करता है। राज्य सड़क नीति 2013 के तहत सड़कों के नवीनीकरण की अवधि तय की गयी है। इसके तहत हल्के यातायात वाली ग्रामीण सड़क आठ वर्ष तक चल सकती है। इस अवधि के पश्चात् यातायात के दबाव के बिना भी सड़क टूटने लगती है। उन्होंने बताया कि शहरी सड़क के नवीनीकरण के लिए चार वर्ष, राज्य राजमार्ग के लिए पांच वर्ष, मुख्य जिला सड़कों के लिए छह वर्ष एवं अन्य जिला सड़कों के लिए आठ वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है।

'वन्य जीवों के हमले में मौत पर 10 लाख रु. मुआवजा देने की तैयारी'

जयपुर (विसं)। वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर अब सरकार 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। बाड़ी (धौलपुर) से भाजपा विधायक जसवंत गुर्जर के सवाल के जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में जारी आदेश के तहत मानव, वन्य जीव संघर्ष से होने वाली मौत पर अभी 5 लाख का मुआवजा मिलता है। सरकार अब इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने सदन को बताया कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि धौलपुर-करौली बाघ अभयारण्य में आने वाले गांवों के निवासियों को उनकी सहमति के बिना विस्थापित नहीं किया जाएगा। कि अभयारण्य के तहत आने वाली बंजर भूमि पर यदि कोई ग्रामवासी खेती कर रहा है, तो इस संबंध में विभागीय नियमों में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। धौलपुर-करौली में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) के लिए उच्चत्तम न्यायालय के

- **'धौलपुर-करौली बाघ अभयारण्य में आने वाले गांवों के लोग मर्जी बिना विस्थापित नहीं किया जाएगा'**

आदेशानुसार समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। इसके उपरांत ही सीटीएच का निर्धारण किया गया है।

उन्होंने बताया कि अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में दो बाघिनों के बीच हुए संघर्ष में एक बाघिन की घायल होने से मृत्यु हो गयी, जिसका नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाकर विधिवत रूप से सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया गया है। इससे पहले विधायक जसवंत गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में धौलपुर-करौली में सीटीएच के तहत आने वाले गांव में स्वैच्छिक विस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है।

अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही : खींवसर

जयपुर (कासं)। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि खान विभाग सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सतर्कता से कार्य कर रहा है। खींवसर प्रश्नकाल में विधायक केसाराम चौधरी के पूरक प्रश्नों का खान एवं पेट्रोलियम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पाली जिले में खान विभाग द्वारा गत तीन वर्षों (एक अप्रेल 2022 से 31 दिसम्बर 2025) में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कुल 67 प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें 49 प्रकरणों में पेनल्टी वसूली गई है और 18 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पाली में बजरी माफियाओं के खिलाफ भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पाली में बजरी खनन के लिए 511 लीज तथा 54 क्वारी लाइसेंस चल रहे है। इससे पहले चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने पाली में स्वीकृत खनन पट्टों एवं क्वारी लाईसेंस का खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाईसेंसधारियों के नाम सहित स्थानवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

पॉक्सो कानून में 'रोमियो-जूलियट' के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार की घटनाओं को लेकर कहा कि ''रोमियो और जूलियट'' के बढ़ते मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। चिंता इस बात की है कि वर्तमान कानून बलात्कार और किशोर अवस्था में सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करने में विफल है। इसमें सहमति के मामले में अठारह वर्ष की आयु पर जोर दिया है, इससे निकट के मामलों को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा है। एक मामला तो ऐसा भी आ चुका, जिसमें आयुसीमा एक घंटा ही कम थी। कानून अनजाने में ''पीड़ितों'' की एक श्रेणी तैयार करता है, जो भागकर शादी करने के कारण स्वयं को पीड़ित नहीं मानते। न्याय प्रणाली बाल संरक्षण की वास्तविकता के बजाय माता-पिता की अस्वीकृति से संचालित होती है और विवेकाधिकार नहीं होने के न्यायपालिका युवा वयस्कों को अपराधी मानने के लिए मजबूर है।

- **अदालत ने कहा कि ''चिंता इस बात की है कि वर्तमान कानून बलात्कार और किशोर अवस्था में सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करने में विफल है। इसमें सहमति के मामले में 18 वर्ष की आयु पर जोर दिया है, इससे निकट के मामलों को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा है।''**

न्यायाधीश अनिल उपमन ने 19 साल के युवक की याचिका मंजूर कर उसे राहत दी। कोर्ट ने कहा कि देशभर में पोक्सो के तहत दर्ज मामलों में एक बड़ा हिस्सा रोमियो-जूलियट प्रकृति का है, जहां दो किशोरों या एक किशोर- एक युवा के आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। ऐसे जोड़े भी शामिल हैं जो शादी करने का इरादा रखते हैं या पहले से रिश्ते में होते हैं। वर्ष 2012 से पहले ऐसे मामले अपराध की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन अब लड़की की सहमति के बावजूद अपराध है और उसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा है। कानून का मशीनी अंदाज में प्रयोग बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के बजाय युवाओं के अनावश्यक जेल और दोनों पक्षों के लिए सामाजिक कलंक का कारण बनता है। कानून बनाने वालों का इरादा सख्त कानून बनाकर उन युवा वयस्कों को परेशान करना नहीं रहा होगा, जो सामाजिक स्वीकार्यता के विपरीत सहमति से रिश्ते बना रहे हैं। इसने न्यायिक विवेकाधिकार सीमित कर दिया, जिससे हिंसक इरादा नहीं होने के बावजूद कोर्ट के पास न्याय देने बहुत कम गुंजाइश बची है। इससे कानून अनजाने में किशोरों की स्वायत्तता को अपराध बनाकर युवाओं को जघन्य अपराधियों जैसी सजा दिला रहा है, यह स्पष्ट अन्याय है।

'कोर्ट आंखे नहीं मूंद सकती है'

कोर्ट ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द करते हुए कहा कि ऐसे मामले में आंख नहीं मूंदी जा सकती। जब पीड़िता आरोपी को बेगुनाह बताती है और मेडिकल रिपोर्ट भी पक्ष में होती है तो सामाजिक मर्यादा के हथियार के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा में राज्यहित और निजता व व्यक्तिगत पसंद के संवैधानिक अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। इसके बिना कानूनी व्यवस्था किशोर प्रेम को अपराधीकरण करने के दुष्चक्र में फंसी रहती है।

'पुलिस-ट्रायल कोर्ट ने मशीनरी काम किया'

महज उन्नीस वर्ष के याचिकाकर्ता युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद कम से कम बीस वर्ष की सजा है। कठोर और निर्मम वैधानिक व्याख्या के नाम पर पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया जाता है। ऐसा दृष्टिकोण भारतीय न्यायशास्त्र के सुधारवादी नजरिए को कमजोर करता है। कानून को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वह युवाओं के विनाश का साधन बन जाए। 19 साल के युवा के खिलाफ 17 साल की किशोरी का अपहरण कर पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस और ट्रायल कोर्ट ने मशीन की तरह काम किया, जबकि युवती ने मर्जी से घर से जाने और कोई जबरदस्ती नहीं होने, सहमति से संबंध बनाने की बात कही।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में ऐसा प्रावधान हो जो न्यायपालिका को तथ्यों व परिस्थितियों के हिसाब से न्याय करने का अवसर दे। इसके अलावा युवाओं के अनावश्यक अपराधीकरण को रोका जा सकेगा। जब तक विधायिका ऐसा संतुलित तंत्र प्रदान नहीं करती, तब तक कानून की भावना के विपरीत न्याय करने के लिए न्यायालयों पर ऐसे मामलों का बोझ बना रहेगा। यह न्यायिक समय की बर्बादी और युवा जीवन का विनाश होगा।

कफ सिरप से मौत के मामलों में चिकित्सक दोषी नहीं : खींवसर

- **स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि ''कफ सीरप मामले में ज्यादा मौतें नहीं हुई। दो, चार-पांच ही मौतें हुई हैं। माता-पिता जो दवा लेकर आए वही कफ सीरप का डोज बच्चों को दे दी। उसमें कोडीन जैसे कई केमिकल होते हैं। कफ सीरप के ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं।''**

जयपुर (विसं)। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि प्रदेश में कफ सिरप से विभागीय चिकित्सक की सलाह से ली गई दवा से किसी की भी मौत होने का मामला सामने नहीं आया हैं जबकि कफ सिरप के ओवरडोज एवं साथ में अन्य बीमारियों के चलते कुछ बच्चों की मौत हुई। खींवसर ने प्रश्नकाल में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली एवं विधायक हरिमोहन शर्मा के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि कफ सीरप मामले में ज्यादा मौतें नहीं हुई। दो, चार-पांच ही मौतें हुई हैं। माता-पिता जो दवा लेकर आए वही कफ सीरप का डोज बच्चों को दे दी। उसमें कोडीन जैसे कई केमिकल होते हैं। कफ सीरप के ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं। दवाई की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप से प्रदेश में हुई मौतों के किसी भी मामले में विभागीय चिकित्सक द्वारा दवा के लिए चिकित्सकीय पर्चा नहीं लिखा गया था। जांच में सामने आया कि माता पिता द्वारा दो साल के बच्चे को बिना चिकित्सकीय सलाह के कफ सिरप दिया गया तथा दवा की ओवरडोज के चलते बच्चे की मृत्यु हो गई। अन्य मामलों में साथ में अन्य बिमारियां (कोमॉरबिडिटी) के चलते बच्चों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि इन मामलों में चिकित्सक की सलाह से दवा नहीं ली गई, ऐसे में चिकित्सक दोषी नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि कफ सीरप कांग्रेस राज के समय से ही चलती आ रही है। 2014 से ही यही दवा चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री खुद मान रहे हैं कि ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं। यह कंपनी कई जगह ब्लैकलिस्ट हुई है, हो सकता है पहले ठीक हो और बाद में खराब हो गई हो।इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान फ्री दवा योजना में ओपीडी बढ़ने के बावजूद खर्चा कम होने और कफ सीरप से हुई मौतों के मामले में कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा और नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले पर सवाल उठाए।

'10 साल से ज्यादा से काम करने वालों को नियमित करने पर क्या किया?'

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम कमिश्नर को 6 फरवरी को शपथ पत्र सहित यह बताने के लिए कहा है कि उनके यहां पर 10 साल से ज्यादा समय से पारिश्रमिक पर काम करने वालों को नियमित करने पर क्या किया। यह भी बताएं कि कितने ड्राइवर नगर निगम में सेवाएं देने से अपने तय वेतनमान पर काम कर रहे हैं।

जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश इमरान की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि 13 नवंबर 2025 को नगर निगम कमिश्नर को इन दोनों बिन्दुओं पर शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था। नगर निगम कमिश्नर गौरव सैनी ने अदालती निर्देश पर 26 नवंबर को अपना शपथ पत्र पेश किया। इसमें कहा था

कि नगर निगम का कर्मचारियों के साथ सीधा कर्मचारी व नियोक्ता का संबंध नहीं है। वहीं ड्राइवर कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगाए गए हैं।

ऐसे में यह सत्यापन करना मुश्किल है कि कितने कर्मचारी दस साल से ज्यादा समय से नगर निगम के साथ में नियमित तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा कि कर्मचारियों को नियुक्ति देने व नियमित करने की शक्तियां डीएलबी को ही है और वही नियुक्ति व नियमितिकरण की हायर ऑथोरिटी है।

अदालत ने कहा कि नगर निगम कमिश्नर की ओर से दिए गए शपथ पत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत मुहैया कराए गए प्रावधानों का हवाला नहीं दिया है। इन प्रावधानों के बिना ही उसने शपथ पत्र दिया है। ऐसे में वह खुद ही आकर अदालत की ओर से मांगी गई जानकारी बताएं।

सिक्किम में 'योगा ओलंपियाड ओरिएंटेशन' एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम

हरिद्वार । पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं वेलनेस, हरिद्वार में 'योगा ओलंपियाड ओरिएंटेशन एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम' का नौ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं वेलनेस में संपन्न हुआ। 22 से 30 जनवरी तक चला प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा।

यह कार्यक्रम योगदर्शन, मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिकता पर आधारित था, जो आंतरिक शांति एवं आध्यात्मिक चिंतन की दिशा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग सिक्किम सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अफसरों को अवमानना में तलब किया तो हुई पालना

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में एनटीटी योग्यता वालों को ब्रिज कोर्स करावाकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में नियुक्ति नहीं देने के मामले में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, पूर्व सचिव नवीन जैन, निदेशक सीताराम जाट सहित डीईओ बाड़मेर अदालत में पेश हुए। अफसरों ने अदालत को बताया की अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रिज कराया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पेश पालना रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखी है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ सुमन कुमारी व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2006 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में चयनित हुई थी। उनकी एनटीटी योग्यता को बीएसटीसी के समकक्ष नहीं मानकर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। वहीं मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में आने पर अदालत ने 6 जनवरी, 2022 को आदेश जारी कर एनटीटी योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स करवाकर नियुक्ति दी जाए।

भूमाफिया कहीं विधानसभा तोड़कर अंदर नहीं आ जाए : रफीक खान

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान आदर्श नगर के कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर में भूमाफिया के सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का मामला उठाया। रफीक खान ने कहा कि जयपुर शहर में भूमाफिया जगह- जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे है। जेडीए फ्लैट्स स्कीम की दीवार तोड़कर 300 मीटर तक अंदर आ गए, वहां दीवार बना ली। फिर भी जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे तो कई बार डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भूमाफिया विधानसभा की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाएं।

कोटा में कार से 1.40 करोड़ कीमत की चांदी की सिल्लियां जब्त

नाकाबंदी में एमपी नम्बर की कार की तलाशी ली तो 49 किलो कच्ची चांदी की सिल्लियां बरामद की

कोटा, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी को जब्त किया है। पुलिस टीम द्वारा जब्त की गई चांदी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रूपये बताई गई है।

- **पूछताछ के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देने पर चांदी की सिल्लियां जब्त कर ली, पूछताछ में सिल्लियां गरोठ से कोटा लाना बताया**

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ, बिना टैक्स के कीमती धातुओं की तस्करी की रोकथाम के लिये ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के निर्देशन में कोटा ग्रामीण पुलिस की ओर से ऑपरेशन क्लीन स्वीप विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि उसी अभियान के तहत् वृताधिकारी सांगोद नरेन्द्र जैन के सुपरविजन में

कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार से कच्ची चांदी की सिल्लियां जब्त की

कनवास थाने के थानाधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि कनवास थानाधिकारी अनुप सिंह ने गठित टीम द्वारा कनवास तिराहा मोरूकलां पर नाकाबन्दी कर वाहनों की चैकिंग की। नाकाबंदी के दौरान एक एमपी नम्बर की कार को रोककर कार की तलाशी ली तो कार में से 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी की सिल्लियां बरामद की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने जिला मंदसौर के थाना गरोठ के नीलेश्वरी कॉलोनी निवासी आशिष (41) एवं कार में सवार पीरूलाल दोनों से पूछताछ कर दस्तावेज मांगे लेकिन कोई कागज नही देने पर पुलिस टीम ने 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी को जब्त किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि जब्त कि गई चांदी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख है। पुलिस टीम ने जब्त चांदी की कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग व जीएसटी विभाग को दी, चांदी की खरीद-फरोख्त के बारे में अनुसंधान जारी है।

कनवास थानाधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि कार में सवार दोनों से पूछताछ के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देने पर चांदी की सिल्लियां जब्त कर ली है, पूछताछ में सिल्लियां गरोठ से कोटा लाना बताया है।

महिला के गले से मंगल सूत्र लूटा

बीकानेर, (निसं)। नाल पुलिस थाना क्षेत्र में करमीसर से बच्छासर रोड पर बाइक पर सवार दो युवक एक महिला के गले से सोने का मंगल सूत्र छीनकर फरार हो गए। करमीसर निवासी माधुरी देवी और उसकी पुत्री दोनों गांव में बच्छासर रोड पर स्थित सती माता के मंदिर दर्शन करने गई थी। वहां से वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान सामने से दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और अचानक माधुरी देवी के गले पर झपट्टा मारकर उसका मंगल सूत्र छीनकर फरार हो गए। मां-बेटी ने शोर मचाया, लेकिन लुटेरों का पता नहीं चल पाया। करमीसर निवासी कालूराम जाट की ओर से पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उसकी पत्नी का मंगलसूत्र छीनकर ले जाने मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी खंगालने पर बाइक सवार दो युवक भागते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच एएसआई सुभाषचंद्र को सौंपी गई है।

नागौर में 1.35 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए जब्त

- **कार्रवाई में मौके से फरार आरोपी श्रवणराम की पत्नी पूजा विश्नोई को गिरफ्तार किया**
- **11.23 लाख नकद, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा तथा हिसाब रखने वाली दो डायरियां जब्त की**

नागौर, (निसं)। नागौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे 'ऑपरेशन नीलकंठ' के तहत नागौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना खींवसर व जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये कीमत का 670 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए, 11 लाख 23 हजार 400 रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा तथा मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त का हिसाब रखने वाली दो डायरियां जब्त की है। इस कार्रवाई में मौके से फरार आरोपी श्रवणराम की पत्नी पूजा विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी एवं सहायक पुलिस अधीक्षक जतिन जैन (आईपीएस) के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी पुलिस खींवसर रामनारायण भंवरिया मय पुलिस जाब्ता एवं डीएसटी टीम नागौर को 31 जनवरी को गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव पांचलासिद्धा, विश्नोईयों की ढाणी स्थित श्रवणराम विश्नोई के रहवासी मकान पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी श्रवणराम मौके से फरार हो गया, जबकि तलाशी के दौरान मकान के आगे बने बाथरूम में गुप्त स्थान से 670 ग्राम एमडीएमए, इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा नकद 11.23 लाख रुपये बरामद किए गए। साथ ही मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और हवाला लेन-देन से संबंधित लाखों रुपये के हिसाब-किताब वाली दो डायरियां भी जब्त की गई। पुलिस ने मौके से आरोपी की पत्नी पूजा विश्नोई (23) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना खींवसर में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामले का अनुसंधान पुलिस थाना कोतवाली नागौर को सौंपा गया है। पुलिस फरार आरोपी श्रवणराम की तलाश में जुटी है तथा मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है।

'यूजीसी कानून को और व्यापक, मजबूत बनाकर लागू किया जाए'

- **डिप्टी सीएम बैरवा को रुक्टा डेमोक्रेटिक ने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा**

जयपुर। रुक्टा डेमोक्रेटिक ने डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के अलवर आगमन पर स्वागत किया। गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, समतामूलक उच्च शिक्षा हेतु जातिगत भेदभाव पर प्रभावी रोक लगाकर सभी को समान अवसर प्रदान करने वाले यूजीसी कानून 2026 को लागू करवाने एवं शिक्षक हित में 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया। डिप्टी सीएम ने मांगपत्र पर विचार का आश्वासन दिया।

संघ के प्रदेश संयोजक प्रो.रमेश बैरवा ने बताया कि इस 15 सूत्रीय मांगपत्र में मांग की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम 2026 को और स्पष्ट, मजबूत बनाकर लागू करवाने के लिए राज्य सरकार भी जरूरी कदम उठाए। मेडिकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,आई आई टी, आई आई एम, एम्स जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी ऐसा कानून लागू किया जाए। जातिगत भेदभाव के विभिन्न प्रकारों को जैसा 2012 के यूजीसी के समता संवर्धन के कानून में चिन्हित किया गया था स्पष्ट किया जाए। रोहित एक्ट की मांग के अनुरूप जातिगत भेदभाव को कठोर दंडनीय अपराध बनाया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ शिक्षण संस्थानों में विशेषरूप से नौकरियों में बड़ा भेदभाव है अतः ओबीसी को भी यूजीसी कानून में शामिल किया जाना संविधान सम्मत है। उच्च शिक्षा सहित शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए ताकि बड़ी संख्या में वर्षों से रिक्त पड़े प्रोफेसर एवं अशैक्षिणक पदों पर भर्ती की जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रिक्त पद 4 माह में भरे जाने का कड़ा निर्देश दिया है। बैकलॉग पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।लाइब्रेरियन, पीटीआई पदों पर भर्ती की जाए। राजसेस महाविद्यालयों में कई वर्षों से कार्यरत प्राध्यापकों को स्थाई किया जाए। गैर शैक्षिणक पदों पर भी भर्ती की जाए।

कैंसर पीड़ित कला महाविद्यालय अलवर के सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन प्रहलाद राम बुनकर का सेवानिवृत्ति का प्रकरण अटकाया हुआ है। प्राचार्य अशोक आर्य ने मनमानी वसूली निकलवाई हुई है, इसका कड़ा संज्ञान लेकर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। खुलेआम कार्यालय समय में शराब पीकर शिक्षकों के साथ बदतमीजी करने वाले प्राचार्य अशोक कार्य को को तुरंत निलंबित कर कड़ी अनुशासनिक करवाई की जाए। इनके खिलाफ संगीन धाराओं में पुलिस थानों में अनेक मुकदमें एवं विभाग में शिकायतें दर्ज हैं आदि मांगें रखी।

प्रदेश में करीब 36 हजार निजी स्कूलों में आरटीई के प्रवेश में इस बार भी विलंब

- **फरवरी माह शुरू हो गया है मगर राज्य सरकार ने अभी तक निशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम घोषित नहीं किया है**
- **छात्र-छात्राएं पिछले एक माह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं**

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के लगभग 36 हजार निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 1 अप्रैल से विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश में संशय की स्थिति बन रही है। राज्य सरकार इस बार नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रैल से शुरू करने जा रही है। जिसके तहत शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी निशुल्क सीटों पर होने वाले प्रवेश के लिए भी इस बार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होनी थी। फरवरी माह शुरू हो गया है मगर राज्य सरकार ने अभी तक निशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम घोषित नहीं किया है। छात्र-छात्राएं पिछले एक माह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में दिसंबर माह में राज्य सरकार को निशुल्क प्रवेश के प्रस्ताव भिजवाए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन प्रस्तावों पर मंजूरी नहीं देते हुए शिक्षा विभाग से दोबारा प्रस्ताव मांगे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने दोबारा प्रस्ताव बना कर भेज दिए हैं। अब राज्य सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आरटीई टाइम फ्रेम घोषित किया जाएगा। उसी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी की तिथि निर्धारित की जाएगी। पिछले साल 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का वरीयता क्रम निर्धारण किया गया। आरटीई के तहत सशुल्क बालकों के प्रवेश के आधार पर वरीयता में चयनित निशुल्क प्रवेश के अंतिम चरण का आवंटन 31 अगस्त को किया गया, जिसमें सामने आया कि 308064 अभ्यर्थियों में से 237407 को प्रदेश के 31720 स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिला है।

गिरिराज खैरीवाल, प्रदेश समन्वयक, प्राइवेट एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोसपैरिटी एलायंस के अनुसार इस बार प्रवेश प्रक्रिया जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह से शुरू होने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं होने से पूरी व्यवस्था प्रभावित होगी और प्रवेश में भी विलंब होगा।

चंद्र किरण पंवार, आरटीई प्रभारी, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का कहना है कि आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश को लेकर राज्य सरकार की मंजूरी के बाद आरटीई टाइम फ्रेम घोषित किया जाएगा। इस संबंध में तैयारियां चल रही है।

34 सिलेंडर जब्त

अलवर, (निसं)। रसद विभाग की टीम द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग को रोकने हेतु खेरली नगर पालिका के ईमली वाला कुआं सौंखर रोड खेरली में मनीष गैस रिफलिंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 34 गैस सिलेंडरों को जब्त किया। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि टीम द्वारा मौके पर मनीष गैस रिफलिंग सेंटर पर 34 गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाये गए जिन्हें जब्त कर मैसर्स देवऋषि गैस एजेंसी खेरली को सुपुर्द किए गए।

14 साल पुराने हमले के मामले में बड़ा न्यायिक मोड़ आया

- **गत 22 जनवरी को सजा सुनाई, 31 जनवरी को जिला न्यायालय से दोषमुक्त**

पावटा, (निसं)। प्रागपुरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुए हमले के चर्चित प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया ने अहम मोड़ लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं.-2, कोटपूतली ने गत 22 जनवरी को तीन आरोपियों महेन्द्र पुत्र भैरूलाल यादव (टसकोला), राकेश पुत्र रोहिताश सिंह (ढाणी दुले सिंह, बड़नगर) एवं राजेन्द्र पुत्र रामकरण यादव (फतेहपुरा खुर्द) को धारा 323, 147, 149 व 458 आईपीसी में दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि धारा 382 आईपीसी में दोषमुक्त किया था। मामला जून 2012 का था, जब आरोप था कि अभियुक्त आधी रात को वाहन में सवार होकर परिवादी बनवारी लाल के घर पहुंचे और बेसबॉल डंडों, लोहे की सरियों व धारदार हथियारों से परिवार पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। घटना के बाद प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। निचली अदालत के इस निर्णय के विरुद्ध 23 जनवरी 2026 को जिला न्यायालय में अपील दायर की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए गत 31 जनवरी को अपील का निस्तारण कर दिया। सुनवाई के दौरान पाया गया कि निचली अदालत का दण्डादेश तथ्य एवं विधिक त्रुटियों से प्रभावित है। परिणामस्वरूप जिला न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इस प्रकरण में अधिवक्ता रवि शर्मा एवं प्रदीप आर्य ने प्रभावी पैरवी की। 14 वर्ष पुराने इस मामले में आए इस ताजा निर्णय ने न्यायिक प्रक्रिया की दोनों परतों को उजागर किया, जहाँ निचली अदालत ने दोषसिद्धि की, वहीं अपीलीय अदालत ने साक्ष्यों व विधिक आधार पर आरोपियों को राहत प्रदान की।

जोधपुर में बदले मौसम से राहत मिली

जोधपुर, (कासं)। शहर में अब मौसम व तापमान सामान्य बना हुआ है। बीते तीन दिन से शहर में दिन के समय धूप निकलने पर लोगों को सर्दी से राहत मिली है। आने वाले दिनों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही सर्दी का असर भी कम रहने का अनुमान है। बीते तीन चार दिन के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह से ठंड का असर और कम होगा। वहीं मौसम भी साफ रहेगा। दिन के समय में पड़ने वाली धूप की वजह से मौसम सुहावना हो चुका है। शहर में आज सुबह की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। ऐसे में आने वाले समय में मौसम सामान्य रहने और लोगों को ठंड से राहत मिलने का अनुमान है।

गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप

- **आरोप है कि गत 29 अक्टूबर को मेडिकल संचालक ने बिना किसी नर्सिंग स्टाफ के महिला को इंजेक्शन लगाया था**
- **परिजनों ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया था**

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि मेडिकल संचालक ने बिना किसी नर्सिंग स्टाफ के महिला को इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। घटना रायसिंहनगर थाना क्षेत्र के 9 टीके गांव में 29 अक्टूबर को हुई थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसीजेएम कोर्ट, रायसिंहनगर में दी शिकायत में शिकायतकर्ता बलवीर सिंह निवासी 9 टीके, रायसिंहनगर ने बताया कि उनकी पत्नी बलवीरी कौर 29 अक्टूबर को खेत में काम कर रही थी। तभी उन्हें तेज बुखार आ गया। शाम करीब 4:30 बजे परिवार वाले उन्हें राजू सिंगल नर्सिंग होम के पास स्थित दीपक मेडिकल स्टोर पर ले गए। वहां मेडिकल संचालक अमित कुमार मौजूद था। अमित कुमार ने बुखार की दवा मांगने पर दवा देने के बजाय सीधे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही महिला को घबराहट होने लगी। वह मेज से उठकर चलने लगी तो वहीं गिर पड़ी। मुंह से झाग निकलने लगा और हालत बिगड़ गई। परिवार वालों ने उन्हें तुरंत ई-रिक्शा से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मौत के बाद बलवीर, उनका पुत्र काका सिंह, हरी सिंह और परिजन दीपक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। जहां अमित ने मना कर दिया कि उसने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। अमित ने कहा कि अगर महिला को इंजेक्शन लगाया है तो बिल दिखाओ या इंजेक्शन का नाम बताओ। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि इंजेक्शन का कवर नाली में फेंक दिया है और अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

कलैक्टर ने थाने का निरीक्षण किया

बाड़मेर, (नि.सं.)। जिला कलैक्टर टीना डाबी ने मंगलवार को बाड़मेर स्थित रीको थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेखों, शिकायत पंजिका, मालखाना, सीसीटीवी व्यवस्था तथा साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलैक्टर ने थाने में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बालिका सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आठ मार्च को

- **प्रवेश के लिए एक सीट पर करीब 81 छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी**

बीकानेर, (निसं)। सीकर और बीकानेर में शुरू होने वाले बालिका सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए एक सीट पर करीब 81 छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी। 8 मार्च को होने वाली चयन परीक्षा के माध्यम से जिले के जयमलसर गांव में स्थित रामीदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल और सीकर के महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में छात्राओं का प्रवेश होगा। दोनों स्कूलों में मिलाकर कक्षा छह की 160 सीटों पर छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर कक्षा5 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रवेश परीक्षा के जरिए इन सीटों पर दाखिला मिलेगा।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान की ओर से राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाली बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी से 28 जनवरी तक पूरी हो चुकी है। 13 हजार बालिकाओं ने इन दोनों स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। उधर, शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाली पांचवीं कक्षा की छात्राएं जिन्होंने चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर भरे हैं। यदि आवेदन फॉर्म में परीक्षा माध्यम, जिला, स्थायी पता या जाति वर्ग से जुड़ी कोई गलती रह गई है, तो शाला दर्पण पर बालिका सैनिक स्कूल मॉड्यूल के जरिए 5 फरवरी तक सुधार कर सकेंगी।

सांवरिया सेठ जा रहे थे श्रद्धालुओं की बोलेरो और बस में टक्कर, नौ जने घायल

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हजारीखेड़ा चौराहे पर एक सड़क हादसा हो गया। यहां सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की एक बोलेरो कार आगे चल रही एक निजी ट्रेवल्स बस से टकरा गई। इस दुर्घटना में नौ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना मंगलवार दोपहर करीब सवा दो बजे की है।

पुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि हजारीखेड़ा चौराहे के पास एक बस और बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, बोलेरो में सवार सभी लोग नरेना (रूपनगढ़) के रहने वाले थे और वे सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब बोलेरो चालक ने आगे चल रही एक निजी ट्रेवल्स की बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी प्रयास में बोलेरो बस के पिछले टायर वाले हिस्से में जा घुसी। टक्कर के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को निजी साधनों की मदद से

स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी साधनों की मदद से महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया।

तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। इस हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं। घायलों में मधु नाम की एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों का एमजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवा दी गई है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

- **नरेना (रूपनगढ़) से सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु**

बालोतरा में धरने पर बैठे वाहन चालकों के साथ मारपीट :- बालोतरा के निकट समदड़ी थाना क्षेत्र के जेठंतरी बजरी नाके पर देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे वाहन संचालकों और चालकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना के बाद वाहन स्वामियों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में डम्पर चालक मौके पर एकत्र हो गए हैं।

वाहन संचालकों का आरोप है कि बजरी लीज संचालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उडा रहे हैं। मुख्य विवाद ओवरलोडिंग और रसीद के खेल को लेकर है। रसीद में हेरफेर का आरोप है कि लीज संचालक केवल 9 टन की रसीद थमाकर वाहनों को रवाना कर रहे हैं। राजस्व का नुकसान इस अंडर-बिलिंग के खेल से सीधे तौर पर सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। अपनी इन्हीं जायज मांगों और लीज संचालक की मनमर्जी के खिलाफ वाहन संचालक नाके पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे। आरोप है कि देर रात लीज संचालक के कारिंदों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के अन्य डम्पर मालिक और चालक एकजुट हो गए और जेठंतरी बजरी नाके पर डम्पर खड़े कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में समदड़ी थाने में लिखित रिपोर्ट पेश कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चालकों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। हम नियम के अनुसार काम करना चाहते हैं, लेकिन लीज संचालक की तानाशाही और मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को इस राजस्व चोरी पर लगाम लगानी चाहिए।

पीड़ित पक्ष कपिल जाट ने कहा कि में धरना स्थल पर शान्ति से बैठा था लीज संचालक की एक गाड़ी आई उसमें मुझे बैठाया गया सुनसान रास्ते में पर पेशाब पिलाया और धक्का-मुक्की कर छोड़ दिया गया।

डाक जीवन बीमा दावे में देरी पर डाक विभाग को झटका

जोधपुर उपभोक्ता आयोग ने 15 लाख रुपये के 75 प्रतिशत भुगतान का आदेश दिया

जोधपुर, (का.सं)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर (द्वितीय पीठ) ने डाक जीवन बीमा के मृत्यु दावा निपटान में अनावश्यक देरी और लापरवाही को सेवा में स्पष्ट कमी मानते हुए डाक विभाग के विरुद्ध अहम निर्णय पारित किया है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा एवं सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास द्वारा दिया गया।

आयोग ने अपने आदेश में डाक विभाग को निर्देश दिया कि वह परिवादी को डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत देय कुल बीमा राशि का 75 प्रतिशत अर्थात 15,00,000 45 दिनों के भीतर अदा करे। प्रकरण में परिवादी द्वारा अपनी पत्नी के निधन के पश्चात समय पर मृत्यु दावा प्रस्तुत किया गया था। परिवादी ने सभी आवश्यक चिकित्सीय, सेवा एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए, इसके बावजूद विभाग द्वारा लंबे समय तक दावा लंबित रखा गया और बार-बार अनावश्यक दस्तावेजों की माँग की जाती रही। आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि बीमा दावा प्राप्त होने के बाद सेवा प्रदाता का दायित्व है कि वह युक्तिसंगत समय सीमा में दावा स्वीकार या अस्वीकार करे। केवल विभागीय जाँच के नाम पर अनिश्चितकाल तक दावा लंबित रखना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के विपरीत है। आयोग ने यह भी कहा कि डाक जीवन बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना में विभाग की जिम्मेदारी और अधिक संवेदनशील हो जाती है तथा बिना ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य के बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर दावा रोके रखना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आयोग ने परिवादी को मानसिक पीड़ा एवं सेवा में कमी के लिए 50,000 क्षतिपूर्ति तथा 10,000 वाद व्यय प्रदान करने का भी आदेश दिया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर देय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त संदेश देता है कि बीमा दावों में अनावश्यक देरी और उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खेल जगत

मैं नॉर्वे शतरंज में फिर से भाग लेकर बहुत खुश हूं, हमेशा की तरह बहुत मजबूत खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करूंगा, और सभी रोमांचक मैचों का इंतजार कर रहा हूं।"

– डी गुकेश

भारतीय शतरंज खिलाडी, नॉर्वे शतरंज 2026 में प्रतिस्पर्धा को लेकर बोलते हुए।

आज का खिलाड़ी – रोहित राजपाल

कप्तान रोहित राजपाल ने कहा कि टीम इंडिया को डेविस कप के टॉप 16 में जगह बनाने की कोशिश में एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, नीदरलैंड्स का बड़े मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाता है, उन्होंने 2024 विश्व कप के फाइनल तक पहुंचने को उनके बड़े मैच के स्वभाव के सबूत के तौर पर बताया। राजपाल ने डच टीम के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद कहा, "जब आप दुनिया के टॉप 16 में जगह बनाने के लिए खेल रहे होते हैं, तो कोई आसान टीम नहीं होती। जो टीम फाइनल में पहुंचती है, उसे पता होता है कि दबाव को कैसे संभालना है।

क्या आप जानते हैं ?... महेंद्र सिंह धोनी ने 332 मैचों में 55.27 जीत प्रतिशत के साथ भारत के सबसे सफल कप्तान का रिकॉर्ड बनाया है।

एमसीसी ने बॉल कंट्रोल, ओवर और कीपर मूवमेंट पर नियमों को सख्त किया

लंदन, 3 फरवरी। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने क्रिकेट कानूनों के एक नए एडिशन की पुष्टि की है जो अक्टूबर 2026 से लागू होगा, जिसमें खेल खेलने के तरीके में बड़े बदलाव करने के बजाय, आउट, ओवर और खिलाड़ी की पोजीशनिंग के बारे में परिभाषाओं को सख्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्य अपडेट में से एक बॉल के कंट्रोल से संबंधित है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो रन-आउट और स्टंपिंग के फैसलों में अक्सर जांच के दायरे में आया है। संशोधित कानून यह साफ करते हैं कि आउट के लिए सिर्फ बॉल को छूना काफी नहीं है। विकेट को वैध होने के लिए, जब स्टंप्स टूटते हैं, उस समय बॉल पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बेल्स हटाते समय सिर्फ हाथ या दस्ताने से बॉल को छूना अब जरूरत को पूरा नहीं करेगा, जिससे अंपायरों को मुश्किल फैसलों में साफ मार्गदर्शन मिलेगा। एक और अहम बदलाव मल्टी-डे मैचों पर लागू होता है, जहां दिन के खेल का आखिरी ओवर अब पूरा किया जाएगा, भले ही उस दौरान कोई विकेट गिर जाए। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि आने वाले बल्लेबाज को ओवर की बची हुई गेंदों का सामना करना होगा, अगर हालात इजाजत देते हैं, न कि आउट होने के तुरंत बाद खेल खत्म हो जाएगा। एमसीसी ने विकेटकीपर की पोजीशनिंग को नियंत्रित करने वाले कानून में भी सुधार किया है, जिसमें अब कीपर को बॉल रिलीज होने के बाद ही स्ट्राइकर के स्टंप्स के पूरी तरह पीछे रहना होगा, न कि गेंदबाज के रन-अप के दौरान। यह बदलाव आधुनिक अंपायरिंग मानकों और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए किया गया है।

अनवर हुसैन ने सबसे तेज गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया

लेह, 3 फरवरी । प्यूरिग वॉरियर्स के अनवर हुसैन ने लेह के नवांग दोरजे स्तोब्दान (एनडीएस) स्टेडियम में रॉयल एनफ़ील्ड आइस हॉकी लीग सीजन 3 का सबसे तेज़ गोल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। यह लीग यूटी प्रशासन, लद्दाख और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ़ लद्दाख के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इससे पहले, तीसरे दिन स्तानज़िन फुंट्सोगने मरयूल स्पावो के खिलाफ 9 सेकंड में गोल कर सीजन 2 के 15 सेकंड वाले रिकॉर्ड को तोड़ा था। छठे दिन अनवर हुसैन ने 4 सेकंड में गोल करके उस रिकॉर्ड को भी बेहतर कर दिया और टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। दिन के अन्य मुकाबलों में शाकर चिकतान रॉयल्स और ज़ांस्कर चादर टैमर्स ने जीत दर्ज की, जबकि हुमास वॉरियर्स ने दिन का सबसे बड़ा स्कोर बनाया दिन की शुरुआत शाकर चिकतान रॉयल्स ने यूनाइटेड नुब्रा पर 6-3 की दमदार जीत के साथ की। रॉयल्स की ओर से अल्ताफ हुसैन और आशिक हुसैन ने दो-दो गोल किए-इन्हीं दोनों ने मैच का पहला और आखिरी गोल भी दागा। तैयफ अली और विलायत अली ने भी सधे हुए टैप-इन जोड़कर रॉयल्स को छह गोल तक पहुँचाया। यूनाइटेड नुब्रा ने तीसरे पीरियड में पद्मा मिंग्युर के रिस्ट-फ्लिक और समापन टैप-इन के साथ, साथ ही रिगज़िन नोरबू के पहले गोल के जरिए अंतिम क्षणों में वापसी की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास नतीजा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं रहा।

ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद अल्काराज ने रॉटरडैम से नाम वापस लिया

रॉटरडैम, 3 फरवरी। नए ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियन कार्लोस अल्काराज ने रॉटरडैम में होने वाले एबीएन एमरो ओपन से नाम वापस ले लिया है, टूर्नामेंट ने यह घोषणा की है। पिछले सीजन में एटीपी 500 इनडोर हार्ड-कोर्ट टाइटल जीतने वाले स्पेन के अल्काराज, एटीपी वेबसाइट के अनुसार, 9 से 16 फरवरी तक होने वाले इस इवेंट में अपना खिताब बचाने के लिए वापस नहीं आएंगे। अल्काराज की गैरमौजूदगी के बावजूद, रॉटरडैम के मैदान में दुनिया के नंबर 2 अलेक्जेंडर ज्वेरेव , फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे और एलेक्स डी मिनौर सहित कई टॉप खिलाड़ी खेलेंगे। अल्काराज ने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के एक दिन बाद अपना नाम वापस लिया है। 22 साल के अल्काराज ने रविवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के फ़ाइनल में नोवाक जोकोविच को चार सेट में हराकर मेलबर्न में अपना पहला टाइटल जीता था। सोमवार को, अल्काराज ने मेलबर्न में रॉयल एग्ज़िबिशन बिल्डिंग में एक सेलिब्रेशन फ़ोटोशूट में भी हिस्सा लिया। अभी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, अल्काराज ने अपने करियर में 15 बड़े टाइटल जीते हैं, जिसमें ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, निट्टो एटीपी फाइनल्स में ट्रॉफी, एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट्स और एक ओलंपिक सिंगल्स गोल्ड मेडल शामिल हैं

स्नेहा लांबा ने राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता

जयपुर, 3 फरवरी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही 69 वीं अंडर-19 राष्ट्रीय विद्यालयी बैडमिंटन प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में राजस्थान की स्नेहा लांबा (जयपुर) ने दिल्ली की डायनाका वाल्डिया को फाइनल मुकाबले में 21-9, 21-9 से हराकर खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा राजस्थान की अंडर-19 छात्रा टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा श्रीमती संतोष राठौड़, टीम के चीफ डे मिशन कृष्ण कुमार शर्मा, टीम मैनेजर विशाल शर्मा, अर्चना , टीम कोच हरीश चौधरी, कौशल्या ने इस शानदार प्रदर्शन पर स्नेहा लांबा को बधाई दी।

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल रेसिंग का आईपीएल है: गांगुली

पणजी, 3 फरवरी। जैसे ही गोवा की सड़कें 14 और 15 फरवरी को इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (आईआरएफ) के लिए एक हाई-ऑक्टेन मोटरस्पोर्ट्स एरिना में बदलने के लिए तैयार हो रही हैं, कोलकाता रॉयल टाइगर्स के मालिक सौरव गांगुली का मानना है कि स्ट्रीट रेसिंग एक टीम के असली चरित्र को सामने लाती है, जो सिर्फ मशीनरी या लैप टाइम से कहीं ज़्यादा है।

मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक अस्थायी स्ट्रीट सर्किट पर होने वाला गोवा राउंड आईआरएफ कैलेंडर के सबसे चुनौतीपूर्ण इवेंट्स में से एक है। एक रिलीज के अनुसार, गांगुली के लिए, स्ट्रीट रेसिंग का दबाव काफी जाना-पहचाना लगता है।

गांगुली ने कहा, "स्ट्रीट रेसिंग सिर्फ कार का नहीं, बल्कि टीम का टेस्ट करती है। क्रिकेट में, दबाव वाले पल आपको एक खिलाड़ी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। जब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो चरित्र सामने आता है।"

क्रिकेट और मोटरस्पोर्ट के बीच तुलना करते हुए, पूर्व भारतीय कप्तान ने इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की तुलना देश में क्रिकेट पर इंडियन प्रीमियर लीग के प्रभाव से की। उन्होंने कहा, "मेरे लिए, इंडियन रेसिंग फेस्टिवल रेसिंग का आईपीएल है। यह टॉप इंटरनेशनल टैलेंट, भारतीय ड्राइवरों, टीम मालिकों और फैंस को एक ऐसे फॉर्मेट में एक साथ लाता है जो इंटेंस, प्रतिस्पर्धी और सुलभ है। जैसे आईपीएल ने लोगों के क्रिकेट से जुड़ने का तरीका बदल दिया, वैसे ही आईआरएफ मोटरस्पोर्ट के लिए ऐसा कर रहा है।"

गांगुली के अनुसार, परमानेंट सर्किट से शहर की सड़कों पर जाने से टीम के अप्रोच में मौलिक रूप से बदलाव आता है। उन्होंने समझाया, "एक परमानेंट सर्किट पर, आपके पास रिकवर करने की जगह होती है। सड़कों पर, हर फैसला बड़ा हो जाता है। एक छोटी सी गलतफहमी पूरे वीकेंड की मेहनत खराब कर सकती है। एक मालिक के तौर पर, आप हर लैप को महसूस करते हैं क्योंकि रेस लगातार सही फैसले, अनुशासन और कंट्रोल का टेस्ट करती है।"

गोवा स्ट्रीट रेस एक बिल्कुल नए सर्किट पर हो रही है, इसलिए तैयारी पूरी तरह से स्पीड पर कम और अनिश्चितता को मैनेज करने पर ज़्यादा केंद्रित है। गांगुली ने कहा, "यहां पीछे मुड़कर देखने के लिए कोई इतिहास नहीं है। इसलिए फोकस ड्राइवर, कार और टीम के बीच तालमेल पर है। यह शांत रहने और हालात बदलने पर समझदारी से प्रतिक्रिया करने के बारे में है।" फिलहाल ओवरऑल स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर मौजूद कोलकाता रॉयल टाइगर्स गोवा राउंड में इंटरनेशनल अनुभव और घरेलू अनुभव के मिश्रण वाले संतुलित ड्राइवर लाइन-अप के साथ उतर रही है।

श्रीलंका के विश्व कप दल में कामिंडु मेंडिस की वापसी

कोलंबो, 3 फरवरी। श्रीलंका ने शनिवार से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के लिए अपने 15 सदस्यीय दल में कामिंडु मेंडिस को वापस बुलाया है और वह धनंजय डीसिल्वा की जगह लेंगे। 23 वर्षीय बल्लेबाज पवन रत्नायके को टीम में जगह मिली है, लेकिन तेज गेंदबाज़ प्रमोद मदुशन के लिए कोई जगह नहीं है।

सबसे बड़ी चर्चा का विषय कामिंडु की वापसी है, जो पिछले महीने पाकिस्तान के ख़िलाफ टी20 सीरीज में शुरुआती एकादश का हिस्सा नहीं थे और इंग्लैंड के ख़िलाफ चल रही टी20 सीरीज से पहले उन्हें बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब वह वापस आ गए हैं, जबकि इंग्लैंड और पाकिस्तान के ख़िलाफ हालिया टी20 पारियों में रन गति बढ़ाने में नाकाम रहने के बाद धनंजय को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ख़ुद कामिंडु भी हाल के महीनों में बेहतरीन फ़ॉर्म में नहीं रहे हैं।

पाकिस्तान की एक जिद पड़ेगी भारी!

भारत से टी20 विश्व कप मैच छोड़ा तो आईसीसी ठोकेगा करोड़ों का जुर्माना

नई दिल्ली, 3 फरवरी। आईसीसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने पर मेजबान प्रसारक द्वारा बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान सरकार ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि टीम यह मैच नहीं खेलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश के समर्थन में विरोध प्रदर्शन है, जिसे टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड से बदल दिया गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी पाकिस्तान के लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व हिस्से को रोक सकती है और इसके बजाय उस राशि का उपयोग प्रसारकों को मुआवजा देने के लिए कर सकती है। पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस मामले की जानकारी देने से पहले बोर्ड की कानूनी टीम से परामर्श किया था, लेकिन बोर्ड अब संभावित गंभीर परिणामों के लिए तैयारी कर रहा है।

खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान बोर्ड ने कानूनी टीम के साथ इसके परिणामों पर कई बैठकें की हैं। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने भी इस बारे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की है और दिलचस्प बात यह है कि वे किसी भी तरह के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि अगर पाकिस्तान झुकता नहीं है और भारत के खिलाफ नहीं खेलता है, तो न केवल उसे आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ब्रॉडकास्टर्स द्वारा मुकदमा भी हो सकता है और आईसीसी विवाद समाधान समिति (डीआरसी) में जाने के उसके सभी प्रयास भी विफल होने की संभावना है।

थॉमस रेव का शतक, इंग्लैंड फ़ाइनल में

बुलावायो, 3 फरवरी। कप्तान थॉमस रेव (110) के शानदार शतक से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को 27 रन से हराकर अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। इंग्लैंड ने 50 ओवर में सात विकेट पर 277 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 47.3 ओवर में 250 रन पर समेट दिया।

इंग्लैंड का फ़ाइनल में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से मुकाबला होगा। प्लेयर ऑफ द मैच थॉमस रेव ने रन आउट होने से पहले 107 गेंदों में 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 110 रन बनाये और टीम को तीन विकेट पर 60 रन की नाजुक स्थिति से उबारा। थॉमस रेव ने टीम को लीड किया और शानदार शतक बनाया। सेलेब फाल्कनर के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी पार्टनरशिप में 135 रन बने और टीम के लिए मजबूत स्कोर की नींव रखी।

जब रेव और फाल्कनर शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया दबाव में था। एक अच्छे कैच से फाल्कनर आउट हो गए, फिर रेव शतक पूरा करने के बाद रन-आउट हो गए और यह मैच का एक बड़ा पल था क्योंकि वह सेट बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवरों में अच्छी वापसी की और ज़्यादा रन नहीं दिए (आखिरी 7 ओवर में 40 रन)। फिर भी, इस पिच पर 277 रन एक बड़ा टारगेट लग रहा है और अंत में यह स्कोर बड़ा साबित हुआ।

नादेन कूरे ने अच्छी बॉलिंग की और गेंद को टर्न कराया और वह 49 रन पर दो विकेट लेकर सबसे अच्छे बॉलर रहे। हेडेन शिलर को 31 रन पर दो विकेट मिले।

राजस्थान स्टेट मिनी सब-जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का भव्य आयोजन

जयपुर, 3 फरवरी। राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में 3-4 फरवरी 2026 को जगतपुरा आर्चरी रेंज, जयपुर में राजस्थान स्टेट मिनी सब-जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आए 9 एवं 10 वर्ष आयु वर्ग के नन्हे तीरंदाजों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता ने प्रदेश में तीरंदाजी के उज्ज्वल भविष्य की झलक प्रस्तुत की।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज के पवन रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि यह अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक क्षण है जब इतनी कम उम्र के बच्चे खेल मैदान में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सभी प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और मार्गदर्शन ही इन बच्चों को भविष्य का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाएगा। नन्हे तीरंदाजों के उत्साह और प्रतिभा को देखकर डॉ. पवन ने विशेष प्रसन्नता व्यक्त की।

समारोह की अध्यक्षता राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जानेस तंवर ने की। उन्होंने कहा कि यही नन्हे खिलाड़ी प्रदेश और देश का भविष्य हैं।

सागर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया

जयपुर, 3 फरवरी। जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025-26 (40 किमी एंड्योरेंस) 31 जनवरी से 1 फरवरी तक जयपुर में आयोजित में सागर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार उपलब्धियाँ हासिल कीं।

जूनियर कैटेगरी: सागर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम ने शानदार समन्वय और दृढ़ प्रदर्शन के साथ टीम गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस विजेता टीम में शामिल थे:

सूर्या, मंजित, दिव्यांश चौधरी, कुणाल और अर्नव चौधरी। यंग राइडर कैटेगरी: यंग राइडर वर्ग में भी सागर टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टीम ब्रॉन्ज़ (तीसरा स्थान) हासिल किया। इस टीम में शामिल थे:सार्थक, यश, करणवीर, चंपा लाल और हर्षवर्धन सिंह।

सागर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स अकेडमी अपने सभी खिलाड़ियों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई देती है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। यह सफलता उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है।

55 साल बाद संतोष ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान को रेल्वेज टीम से हार का सामना करना पड़ा

जयपुर, 3 फरवरी। 1971 यानी 55 साल बाद राजस्थान की टीम संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। राजस्थान टीम ने शुक्रवार को नागालैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला और 7 अंक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम-8 में जगह बनाई। इस प्रकार राजस्थान टीम ग्रुप-ए में 2 मैच जीत, एक ड्रॉ और 2 हार के साथ 7 अंक लेकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। 55 साल बाद नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचना राजस्थान फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज हुए मुकाबले में राजस्थान फुटबाल टीम रेलवे टीम से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। रेलवे की की टीम को पहला गोल 78 मिनिट पर

मिला ओर दूसरा गोल 83 पर किया राजस्थान टीम ने रेलवे जैसी अनुभवी टीम के साथ एक कड़ा मुकाबला खेलना ओर राजस्थान के मिलन पूनिया, ईशान राजोरिया, विशाल , अल्ताफ ने शानदार खेल खेला । यह जानकारी राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने दी।

रूद्र के ऑलराउंड प्रदर्शन से संस्कार एकेडमी सेमीफाईनल में

जयपुर, 3 फरवरी। यूनियन क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित प्रथम श्रीमती मुमताज खान स्मृति अण्डर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता के अन्तर्गत आज संस्कार क्रिकेट ग्राउण्ड सिरसी में खेले गये मुकाबले में संस्कार क्रिकेट एकेडमी ने रूद्र 53 रन नाबाद व 16 रन पर 1 विकेट के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत डायंमड क्रिकेट एकेडमी को मात्र 09 रन से हराकर सेमीफाईनल में प्रवेश किया। टॉस जीतकर डायमण्ड क्रिकेट एकेडमी ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया उनका यह निर्णय सही साबित हुआ जब संस्कार के 8 विकेट मात्र 98 रन पर चले गए।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा की अकादमियों की चयन ट्रायल शुरू

हैंडबॉल, साइक्लिंग, कुश्ती में 250 खिलाड़ी पहुँचे

जयपुर, 3 फरवरी। मंगलवार से राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम में आठ दिवसीय विभिन्न खेल अकादमियों में प्रवेश के लिए चयन स्पर्धा शुरू हुई। पहले दिन बालक हैंडबॉल अकादमी-जैसलमेर (70), बालिका हैंडबॉल अकादमी-जयपुर (67), बालक साइक्लिंग अकादमी-बीकानेर (40), बालक कुश्ती अकादमी-भरतपुर (55) एवं बालिका खेल संस्थान-कुश्ती, भरतपुर (18) में कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की सचिव श्रीमती नीतू बारूपाल ने बताया कि पहले दिन सभी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और मेडिकल करवाने के बाद बैटरी टेस्ट लिया गया। बैटरी टेस्ट में कुल आठ एक्टिविटी है। इन तीनो खेलो के खिलाड़ियों का बुधवार सुबह के सत्र में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग तथा अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद डा. नीरज के. पवन भी ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मिले तथा उनका उत्साहवर्धन भी किया और अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ट्रायल किस प्रकार से लेते है का भी बारीकी से अध्ययन किया। इस दौरान उनके साथ अकादमी प्रभारी रणविजय सिंह चम्पावत भी मौजूद थे श्रीमती नीतू बारूपाल ने बताया कि बुधवार को बालक एथलेटिक्स अकादमी-श्रीगंगानगर, अजमेर एवं चूरू तथा बालिका एथलेटिक्स अकादमी-जयपुर व चूरू एवं बालिका खेल संस्थान-भरतपुर, उदयपुर व जयपुर तथा पैरा एथलेटिक्स एवं पैरा पॉवरलिफ्टिंग-जयपुर के लिए रजिस्ट्रेशन, मेडिकल एवं बैटरी टेस्ट होंगे।

अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता

कंदर्प शर्मा व मनन शर्मा की दोहरी जीत, आदित्य सिंह उलटफेर के शिकार

जयपुर, 3 फरवरी। दूसरी वरियता प्राप्त उत्तराखण्ड के आदित्य सिंह नेगी पर धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद राजस्थान के वयम लाम्बा प्री-क्वार्टर फाईनल में तेलंगाना के कृषव पुपाला से तीन गेमों के संघर्ष में हार गए। यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रही योनेक्स-सनराईज अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में मंगलवार की सुबह वयम लाम्बा ने लाजवाब प्रदर्षन किया लेकिन दूसरे मैच में उन पर थकान का असर साफ नजर आया और वह अंक दर अंक संघर्ष के बावजूद उन्हें प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उधर राजस्थान के कंदर्प शर्मा व मनन शर्मा दो वर्गो में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंडर-15 बालक एकल में वयम लाम्बा ने आदित्य सिंह नेगी को 21-16, 19-21, 21-16 से परास्त किया तथा अगले दोर में कृषव ने उन्हें 14-21, 21-16, 21-16 से हरा दिया। अंडर-17 मिश्रित युगल में कंदर्प शर्मा व महाराष्ट्र की एस. रजाने ने कर्नाटक के ईष्वर सांई व रक्षा एम को 21-13, 21-14 तथा अंडर-17 बालक युगल में कंदर्प शर्मा व गर्वित बरवार ने चौथी वरियता प्राप्त तमिलनाडु की जोड़ी एस.पी. अहमद बुहारी व ए.आर.जे. को 21-18, 23-21 से हराकर उलटफेर किया। अंडर-15 मिश्रित युगल में प्रथम वरियता प्राप्त व पंजाब की इनायत गुलाटी ने दिल्ली के अथर्व त्यागी व गिया शर्मा को 21-13, 21-7 से हराया। अंडर-15 बालक युगल में चौथी वरियता प्राप्त मनन शर्मा व आंध्रप्रदेष साई सोहन कोटा ने बिहार के फेसल इकबाल व आषदुल्ला को 21-13, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेष किया। अंडर-15 मिश्रित युगल के एक अन्य मुकाबले में चौथी वरियता प्राप्त सात्विक अग्रवाल व लक्षित भारद्वाज ने कर्नाटक व दिल्ली के चित्हास व त्रिषा को 21-10, 21-16 से परास्त कर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। अंडर-15 बालक एकल में सात्विक अग्रवाल ने महाराष्ट्र के प्रथम विषाल को 21-13, 21-16 से हराया। अंडर-15 बालिका एकल में अन्वी राठौड़ ने महाराष्ट्र की कायरा रेना को 21-10, 21-11 से हराया। वहीं अंडर-17 बालिका एकल में अन्वी राठौड ने राजस्थान की ही नेहल सिसोदिया 21-11, 22-20 से परास्त किया। अंडर-15 बालक युगल में आनन्द मदरेणा व वाय. शेखावत ने केरल के काषीनाथ सी. व ओमंकार आर.के. को 21-17, 21-18 से परास्त किया।

इससे पूर्व प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन खेल सचिव और राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज के. पवन ने किया। विषिष्ट अतिथी पूर्व ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनन्द थे। आयोजन सचिव के.के. शर्मा, राजस्थान बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष मनोज दासोत और संयुक्त सचिव जाकिर हुसैन व कोच यादवेन्द्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। मंच संचालन चंद्रकान्त शर्मा ने किया।

द लीला महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप (08) गोल्स का हुआ आगाज

जयपुर, 3 फरवरी। जयपुर पोलो सीजन 2026 के अंतर्गत द लीला महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप (08) गोल्स का आगाज पीपीसी ग्राउंड पर 2 मुकाबलों के साथ हुआ। पहला मैच टीम अरावली और ऑप्टिमस अचीवर्स के बीच खेला गया। वहीं, दूसरा मुकाबला टीम जिंदल बेदला और वी पोलो के बीच हुआ।

पहले मुकाबले में टीम ऑप्टिमस अचीवर्स ने 9-4 के स्कोर से टीम अरावली को शिकस्त दी। ऑप्टिमस अचीवर्स से ध्रुवपाल गोदोरा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 गोल और डेनियल ओटामेंडी ने 3 गोल किए। शमशीर अली ने 1 गोल किया और टीम से आर्यमान सिंह भी खेले। दूसरी ओर, टीम अरावली से मैनुअल फर्नांडीज लोरेंटे से 3 गोल और कुलदीप सिंह राठौड़ ने 1 गोल किया। टीम से देवेंद्र सिंह और रघुराम हरि भी खेले।

इसी प्रकार, दूसरे मुकाबले में जिंदल बेदला ने वी पोलो को 8-7 के स्कोर से हराकर मैच जीत लिया। विजेता टीम जिंदल बेदला से राव हिम्मत सिंह बेदला और सिद्धांत शर्मा ने 3-3 गोल हासिल किए। टीम के लिए सिमरन शेरगिल ने 2 गोल किए। टीम की ओर से वैंकटेश जिंदल भी खेले। वहीं, टीम वी पोलो से सैंटियागो मारम्बियो ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 5 गोल हासिल किए। अंगद कलान और सलीम आजमी ने 1-1 गोल किया। टीम में विवान मेहता भी शामिल रहे।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नैनवॉ जिला-बून्दी (राज0)

क्रमांकः– न0पा0नै0 / निर्माण / 2026 / 252 दिनांक :27.01.2026

अल्पकालिक निविदा-सूचना 31/2025-26

नगरपालिका नैनवॉ द्वारा व्यक्ति / संस्था / कम्पनी / संवेदक से निम्नांकित कार्यो की मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी समस्त विवरण को वेबसाईट www.sppp.rajasthan.nic.in पर देखा / डाउनलोड किया जा सकता हैं। उक्त निविदा का NIB Code :– DLB2526B0927 हैं। कार्य का UBN No. निम्न प्रकार है।

1-DLB2526WSRC32442
2-DLB2526WSRC32443
3-DLB2526WSRC32444
4-DLB2526WSRC32445
5-DLB2526WSRC32446

अध्यक्ष नगर पालिका नैनवॉ — अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नैनवॉ

राज.संवाद / सी / 25 / 18962

कार्यालय नगर परिषद बून्दी

क्रमांकः– 451 दिनांकः– 30.01.2026

-:: निविदा सूचना ::-

नगर परिषद बून्दी द्वारा जारी निविदा सं0: न0प0बू0 / निर्माण / 2025-26 / 440 दिनांक 29 / 01 / 2026 की निविदा दिनांक 30 / 01 / 2026 से दिनांक 11 / 02 / 2026 06.00 बजे तक ऑनलाईन विक्रय की जावेगी। निविदा दिनांक 12 / 02 / 2026 को 15.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा निविदा दिनांक 12 / 02 / 2026 को 16.00 बजे ऑनलाईन खोली जावेगी। विस्तृत शर्ते व विवरण निविदा sppp.rajasthan.gov.in/eproc.rajasthan.gov.in पर DLB2526WSOB32536, DLB2526WSOB32537, DLB2526WSOB32539, DLB2526WSOB32541 तथा कार्यालय समय मे किसी भी कार्यदिवस को नगर परिषद मे देखा जा सकता है।

आयुक्त नगर परिषद, बून्दी

राज.संवाद / सी / 25 / 18930

कृषि महाविद्यालय, बसेडी, धौलपुर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्रमांक :- प.( )/भण्डार/कृमब/2026/1469 दिनांक :- 25/01/2026

ई-बिड सूचना

कृषि महाविद्यालय बसेडी में विभिन्न श्रेणी के प्रयोगशाला उपकरण आदि की आपूर्ति हेतु ई-बिड प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं sppp.rajasthan.gov.in and www.sknau.ac.in पर देखा जा सकता है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाए दिनांक 04.02.2026 समय प्रातः 11:30 बजे तक Upload करवाई जा सकती है प्राप्त निविदाए दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 11.30 बजे टैण्डर समिति द्वारा खोली जावेगी।

UBN No.: SKN2526GLOB00406
NIB Code: SKN2526A0374

राज.संवाद/सी/25/19017 — अधिष्ठाता

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

पॉलीटेक्निक कॉलेज रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर ceo_nnj@rediffmail.com 02912651464

क्रमांकः– विकास / जॉन / तृतीय / 2026-27 / 80 दिनांकः– 29.01.2026

:: ई-निविदा सूचना संख्या ::
(UB NO. DLB2526WSOB32626)

नगर निगम जोधपुर की ओर से विभिन्न विकास कार्य हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की विस्तृत जानकारी एवं शर्ते इत्यादि वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.raj.nic.in पर एवं जोधपुर नगर निगम की वेबसाईट https://lsg.rajasthan.gov.in/mcj पर देखी जा सकती है।

प्रशासक नगर निगम, जोधपुर — आयुक्त नगर निगम, जोधपुर

राज.संवाद / सी / 25 / 19064

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(अम्बाबाडी सर्किल,अम्बाबाडी जयपुर)

क्रमांक :– जसअ / 2025 / 469 दिनांकः 30.01.2026

ई- निविदा सूचना संख्या 282/2025-26

केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यो की निविदां आमंत्रित की जाती हैं। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम जयपुर की Web Site www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगीं।

SPPP portal UBN No. JMC2526WSOB02721

अधिशाषी अभियन्ता विद्याधर जोन नगर निगम जयपुर

राज.संवाद / सी / 25 / 19077

आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण

पुरानी विधानसभा भवन, हवामहल के पास, जयपुर, टेलीफोन नम्बर - 0141-2600032
ई-मेल आई.डी. :- adma.jaipur@gmail.com

क्रमांक :- कार्य निदेशक/एडमा/लेखा/2025-26/124 दिनांक :- 30/01/2026

ई-बिड़ संख्या - 21/2025-26

आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा करवाये जाने वाले विद्युत एवं सिविल कार्यो हेतु राज्य सरकारों / केन्द्र सरकार / निगमों / बोर्ड कार्यालयों में सक्षम / निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से द्विभागीय खुली बिड ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है जिनका विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जो देखी व पढ़ी जा सकती है।

(ई-बिड संख्या-21 / 2025-26 की कुल लागत राशि रूपये 355.39 लाख)

NIB code ADA2526A0028

बिड यू.बी.एन. नम्बर :– ADA2526WSOB00090 To ADA2526WSOB00094

राज.संवाद/सी/25/19025 — कार्यकारी निदेशक (कार्य)

जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर
E-Mail-nnjelectrical@gmail.com

क्रमाकः–सं. / एफ-15 / कार्य / 2026 / RL-4754 दिनांकः– 30.01.2026

ई- निविदा सूचना क्रमांक RL-4748 दिनाक 30.01.2026
UBN NO. DLB2526WSOB32601

जोधपुर नगर निगम द्वारा इच्छुक कार्यो के अनुभवी योग्यताधारी विधुत लाईसेन्सधारी संवेदको / अभियंता एंव नगर निगम में पंजीकृत नियमानुसार E-EWSD श्रेणी संवेदको या अन्य विभाग में पंजीकृत (E-EWSD-I) संवेदक से ऑन-लाईन "ई" टेण्डर प्रकिया से निगम शर्तो के अधीन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा के कार्यो, योग्यता, शर्तो की समस्त जानकारी वेबसाईट पर www.eproc.raj.in अथवा www.sppp.raj.nic.in अथवा www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjn पर देखी जा सकती है।

आयुक्त नगर निगम, जोधपुर

राज.संवाद / सी / 25 / 19066

मंत्री व विधायक सदन में बेहतर उपस्थिति व सक्रिय भूमिका निभाएं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक में अनुशासन व समयबद्धता पर जोर दिया

जयपुर, 3 फरवरी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक विधानसभा परिसर की सत्ता पक्ष लॉबी में आयोजित की गई। बैठक के शुरू में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाणा और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

- भाजपा विधायक दल की बैठक का समय सुबह 10 बजे का निर्धारित था। बड़ी संख्या में मंत्री व विधायक समय पर नहीं पहुँच पाये, इसलिए बैठक निर्धारित समय पर शुरु नहीं हो पाई। पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बैठक स्थल पर समय पर पहुँच गए थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक ली।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में बेहतर उपस्थिति और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र आमजन से जुडे महत्वपूर्ण मुद्दों का है और इसकी कार्यवाही का पूरा सदुपयोग जनहित में किया जाना चाहिए।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजस्थान के लिए रेलवे क्षेत्र में किए गए 10 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का उल्लेख करते हुए इसे राज्य के बुनियादी ढ ांचे के लिए महत्वपूर्ण बताया। विधायक दल की बैठक को लेकर एक अहम मुद्दा भी सामने आया। बैठक का समय सुबह 10 बजे निर्धारित था, लेकिन बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण बैठक निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। तथापि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं समय पर बैठक स्थल पर पहुंच गए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि यदि सभी मंत्री और विधायक समय पर बैठकों में पहुंचेंगे, तो चर्चा भी समय पर और अधिक प्रभावी ढ ंग से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अनुशासन और समयबद्धता सरकार की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और इसे हर स्तर पर अपनाया जाना चाहिए।

'प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्व बढ़ाने की गलत नीयत से लागू किया है, जो छोटे खनन लीज़धारकों की कमर तोड़ने जैसा है।

यचिका में कहा गया है कि वर्ष 1975 से 2010 तक जी.टी. शीट्स के आधार पर खनन क्षेत्रों की सीमाएं (बाउंड्री) तय की जाती थीं। इसके बाद खनन विभाग ने जी.टी.शीट्स को "गूगल अर्थ" से ली गई तस्वीरों पर अपलोड कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया से भी कई जगहों पर वास्तविक जमीन स्थिति से करीब 100 मीटर दूरी तक का अंतर था। इस कारण भी कई लीज़ धारकों के बीच विवाद सामने आया था। अब जो ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे का नियम लागू किया जा रहा है, उससे भी करीब 15-20 मीटर दूरी तक का अंतर सामने आ रहा है। इस समस्या का भी खनन विभाग की ओर से कोई समाधान मुहैया नहीं करवाया जा रहा।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और खनन विभाग सिर्फ ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही लीज़धारकों पर जुर्माना तय करके पैनल्टी लगा रहे हैं। यह इसलिए अव्यवहारिक है, क्योंकि ड्रोन सर्वे के आधार पर ही यह तय नहीं किया जा सकता कि किस ब्लॉक में वास्तविकता में कितना खनन किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किस खनन लीज़ से कितनी मात्रा में बजरी अथवा अन्य पत्थर निकलेगा, इसका मापदंड भी तय नहीं है। ऐसे में ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पैनल्टी किस प्रकार लगायी जा सकती है।

'मुझे नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके साथ ही, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें से एक वाम दल का सदस्य भी शामिल है।

लेकिन, नरेन्द्र मोदी तमाम आलोचनाओं के बावजूद अप्रभावित दिखे। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में स्वयं को माला पहनवाई, और दिन भर टीवी चैनलों पर मोदी, ट्रम्प और इस ट्रेड डील की तारीफों का दौर चलता रहा कि उन्होंने कितना शानदार काम किया है।

सवाल यह है कि जब विपक्ष के इतने नेता मोदी का सीधे सामना करने और यह कहने में सक्षम नहीं हैं कि उन्होंने देश को बेच दिया है, तब राहुल गांधी में ही यह साहस है कि वे सीधे नरेन्द्र मोदी पर हमला करें और गलत को गलत कहें।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को एन.एस.यू.आई. की ओर से आयोजित "युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरुद्ध" कार्यक्रम में शामिल हुए।

अमेरिका तय नहीं कर सकता भारत की विदेश नीति- पायलट

वे एनएसयूआई के "युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरूद्ध" में शामिल होने जयपुर आए

जयपुर (कासं), 3 फरवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील, विदेश नीति, टैरिफ, लोकतंत्र और बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के इशारों पर नहीं चल सकती। यह भारत का अधिकार है कि वह किस देश से तेल खरीदेगा, अमेरिका यह तय नहीं कर सकता कि भारत रूस से तेल न खरीदे और वेनेजुएला से खरीदे। यह देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। पायलट ने यें बातें मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से रूबरू होकर कही।

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए, जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता।

पायलट, एन.एस.यू.आई. की ओर से विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित "युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरूद्ध" कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर आए थे। उनके साथ एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक मनीष यादव, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनियां, विधायक प्रशांत शर्मा, दीनदयाल बैरवा, पूर्व विधायक गजराज खटाना, वेदप्रकाश सोलंकी, राकेश पारीक, कांग्रेस नेता अनिल चौपड़ा, वीजीयू के चेयरमैन डॉ. के.आर.बगरिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले टैरिफ औसतन 5 से 7 प्रतिशत था, जिसे बढ़ ाकर 50 प्रतिशत तक किया गया और अब घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। पायलट ने इसे भारत पर दबाव बनाने की राजनीति बताया।

केन्द्र सरकार के बजट पर निराशा जताते हुए पायलट ने कहा कि इसमें राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता है।

'भारत-अमेरिका ट्रेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसका कहना है कि अमेरिका अक्सर ताकतवर स्थिति से बातचीत करता है और अन्य मामलों में उसने ऐसे समझौते हासिल किए हैं, जिनसे साझेदार देशों के बाज़ार खुले तथा घरेलू नियमों में ढील आई और अमेरिकी निर्यातकों को भारी लाभ मिला। छोटे देशों के साथ हालिया अमेरिकी व्यापार समझौतों का उदाहरण देते हुए जीटीआरआई ने तर्क दिया कि किसी भी भारत-अमेरिका समझौते को वास्तव में पारस्परिक होना चाहिए और केवल अल्पकालिक शुल्क कटौती पर केन्द्रित होने के बजाय, भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

कृषि चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या हटाने से भारतीय किसानों को भारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी अनाज, डेयरी और पोल्ट्री से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उसने यह भी आगाह किया कि शुल्क संरक्षण की जगह ढीले नियामकीय प्रावधान, जिनमें स्वच्छता और फायटोसैनिटरी मानक शामिल हैं, अपनाने से खाद्य सुरक्षा मानक कमज़ोर हो सकते हैं और वे सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से संवेदनशील सुरक्षा उपाय खत्म हो सकते हैं, जिन्हें एक बार छोड़ देने के बाद बहाल करना कठिन होता है।

निर्यात के मोर्चे पर, जीटीआरआई ने वस्त्र, आभूषण, झींगा और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊँचे शुल्कों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। उसका तर्क है कि सुनिश्चित और टिकाऊ बाज़ार पहुँच के बिना भारत शुल्क में रियायतें दे सकता है, जबकि उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती जाए। शुल्क से आगे बढ़कर, थिंक टैंक ने बार-बार नियामकीय संप्रभुता की रक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया है और चेतावनी दी है कि बाध्यकारी व्यापार प्रतिबद्धताएँ भविष्य के आर्थिक या भू-राजनीतिक बदलावों के अनुरूप नीतियों को पुनर्संतुलित करने की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती हैं।

अंत में, जीटीआरआई ने अमेरिकी प्रणाली के भीतर मौजूद कानूनी और राजनीतिक जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। उसका कहना है कि व्यापार प्रतिबद्धताओं में कांग्रेस द्वारा बदलाव लाया जा सकता है या उन्हें कमज़ोर किया जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब फास्ट-ट्रैक प्राधिकरण न हो। इससे एक असंतुलन पैदा होता है, जिसमें भारत की रियायतें स्थायी हो जाती हैं, जबकि अमेरिकी दायित्व घरेलू राजनीतिक उठापटक के अधीन रहते हैं। कुल मिलाकर, जीटीआरआई की आलोचना अस्वीकृति से अधिक सतर्कता पर आधारित है और इस बात पर ज़ोर देती है कि एक टिकाऊ भारत-अमेरिका व्यापार समझौता किसानों, उद्योग और नीतिगत स्वायत्तता की रक्षा करे, न कि अमेरिका को भारी लाभ पहुँचा दे।

आज सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारण लोगों को हो रही "भारी असुविधा और पीड़ा" पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के चलते पूरे राज्य में "लगभग 140 मौतें" हुई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर मौजूदा कानूनों का खुला उल्लंघन करते हुए और "मानवाधिकारों तथा बुनियादी मानवीय संवेदनाओं की पूरी तरह अनदेखी" के साथ संचालित की जा रही है।

ममता बनर्जी ने कहा कि भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 8,100 माइक्रो ऑब्ज़र्वर्स तैनात किए हैं।

उन्होंने इस तैनाती की आलोचना करते हुए कहा कि माइक्रो ऑब्ज़र्वर्स को, बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और सिद्ध विशेषज्ञता के, एकतरफा तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि यह एक "विशेषीकृत, संवेदनशील और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया" है।

ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा, "मैं एक बार फिर उस कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को लेकर लिखने के लिए विवश हूँ, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से परे जाकर, पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची की प्रक्रिया में अपनाया जा रहा है।"

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका सूचीबद्ध होने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब आगामी चुनावों से पहले राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस मामले पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका फैसला एसआईआर की प्रक्रिया और पश्चिम बंगाल में व्यापक चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकता है।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह मामला 4 फरवरी को सूचीबद्ध होने की संभावना है और यदि सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री के स्वयं पीठ के समक्ष उपस्थित होने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया। इसके बदले राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश को लगभग 3 करोड़ रुपए राजस्व राशि के रूप में भुगतान किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश आयोग के निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, सचिव दीपक सिंह और राजस्थान आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह, सचिव राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों देश दवाइयों, स्टील, विमानों, तकनीकी उत्पादों और कुछ कृषि वस्तुओं सहित, कई तरह के उत्पादों का पहले से व्यापार कर रहे हैं। सालाना व्यापार का आकार लगभग 130 अरब डॉलर था, जो न तो बहुत कम था और न ही बहुत ज़्यादा।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच अचानक घोषित ट्रेड डील से ट्रम्प को ज़रूर झटका लगा होगा।

रूसी तेल खरीदने पर भारत को दंडित करने के अपने फैसले की मूर्खता का एहसास ट्रम्प को तब हुआ होगा, जब उन्होंने देखा कि भारत और ईयू ने लंबे समय से चल रही द्विपक्षीय व्यापार रूपरेखा पर बातचीत को तेज़ी से पूरा कर लिया। आखिरकार यह अजीब ही था कि अमेरिका यूरोप में चल रहे किसी और के युद्ध के लिए भारत को सज़ा दे रहा था, जबकि जो देश वास्तव में रूस से युद्ध के ख़तरे का सामना कर रहे हैं (यूरोपीय देश), वे खुशी-खुशी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं।

- पर, इस अव्यवहारिक शर्त के अंतर्गत भी व्यापारिक संतुलन बिठाना बहुत कठिन है। भारत, अमेरिका को कम मूल्य के लेवर "इन्टैसिव" प्रोडक्ट्स बेचता है और उनका उत्पादन अचानक एक झटके में बढ़ाना संभव नहीं। जबकि, भारत अगर कुछ हवाई जहाज अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदता है तो अमेरिका का भारत के निर्यात का आंकड़ा अचानक बहुत जल्दी आसमान छूने लगेगा।
- ट्रंप द्वारा अचानक "ट्रेड डील" की घोषणा करने के कुछ भी कारण हों, पर, भारत के लिए इस डील का अचानक आना और कुछ नहीं, तो एक "डिप्लोमैटिक" (कूटनीतिक) कामयाबी तो जरूर है ही।

यह समझते हुए कि वह किस स्थिति में फँस गए हैं, ट्रम्प ने फिर एक चाल चली, उन्होंने एकतरफ़ा तौर पर एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा कर दी और साथ ही रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ को भी एकतरफ़ा रूप से हटाने का ऐलान कर दिया।

"डैड ट्रम्प" की इस अचानक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा के सामने प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उन्हें इस घोषणा का स्वागत करना ही पड़ा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया की भलाई के लिए डॉनल्ड ट्रम्प के साथ काम करना कितना सुखद है।

यह पूरा मामला एक बेतुके नाटक का हास्यास्पद तमाशा लगता है। तथाकथित व्यापार समझौते के दोनों पक्ष अब भी अस्पष्ट बने हुए हैं।

व्यापार समझौता एक गंभीर विषय होता है और इसमें शामिल देशों पर इसके दूरगामी असर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस यह कह दिया जाए कि सभी टैरिफ हटा दिए गए हैं और सामान बिना किसी रुकावट के आएगा-जाएगा। व्यापार समझौतों में शुल्क संरचनाओं, टैरिफ उद्देश्यों के लिए माल की श्रेणियों और सबसे अहम घरेलू घटक (डोमेस्टिक कंटेंट) से जुड़े विस्तृत प्रावधान होते हैं। ये बातें एक फोन कॉल के तुरंत बाद तय नहीं की जा सकतीं और आमतौर पर पेशेवर लोग इन्हें लंबे समय में तैयार करते हैं।

डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अचानक घोषणा के बाद, इनमें से किसी भी मुद्दे पर शायद ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।

जैसा कि ट्रंप ने वादा किया है, रूसी तेल की भारतीय खरीद में कमी के वादे का शायद ही कोई संकेत है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा और इसके बजाय वेनेज़ुएला का कच्चा तेल खरीदेगा, जो प्रकृति में रूसी तेल जैसा है और इसलिए भारतीय रिफाइनरियाँ इसे आसानी से अपना सकती हैं।

मान भी लें कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल की जगह वेनेज़ुएला का तेल स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर भी वेनेज़ुएला के पूरे तेल उद्योग का उत्पादन भारत की ज़रूरतों के सामने बहुत कम है। भारत कच्चे तेल का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। रिपोर्टों के अनुसार, वेनेज़ुएला के तेल उद्योग का कुल उत्पादन भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले तेल से कहीं कम है।

मान लें कि वेनेज़ुएला का तेल उपलब्ध भी हो, तो उसे समुद्र के रास्ते भारत तक लाना अपने-आप में एक बहुत बड़ा काम है, और वेनेज़ुएला का तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुँचने से पहले इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी।

सबसे बढ़कर, भारत द्वारा अचानक रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करने के रणनीतिक प्रभाव भी हैं। भारत रूसी हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर काफ़ी हद तक निर्भर है।

फिर ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एक बुनियादी बात है, जिसका दावा ट्रम्प कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत ने अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ शून्य करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि अमेरिका कम से कम 18 प्रतिशत टैरिफ बनाए रखेगा। अगर भारत ने ऐसा कोई भी वादा किया है, तो यह बेहद असामान्य होगा। कोई भी देश दूसरे देश से इसी तरह की छूट के बिना सामानों पर शून्य शुल्क की अनुमति नहीं दे सकता। भारत यह स्वीकार नहीं कर सकता कि अमेरिकी सामान बिना किसी शुल्क के आए, जबकि उसके अपने उत्पादों पर अमेरिका 18 या अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्यूटी लगाए।

यह अपनी आर्थिक संप्रभुता छोड़ने जैसा होगा। इसे किसी भी तरह से मुक्त व्यापार समझौता नहीं कहा जा सकता। पिछले एक साल में दोनों पक्षों के बीच कई दौर की व्यापार बातचीत हो चुकी है, और व्यापार विशेषज्ञों ने विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए होंगे।

स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए, इन्हें उचित तरीके से घोषित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ट्रम्प ने 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य घोषित किया है। सन् 2030 तक न सही, लेकिन इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार और कुल जीडीपी को देखते हुए इतना बड़ा व्यापार लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर भारत अपने घरेलू नागरिक उड्डयन बेड़े के लिए बोइंग कंपनी से कुछ विमान खरीदता है, तो अमेरिका से आयात का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ जाएगा।

लेकिन भारत के लिए अमेरिका को निर्यात बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। भारत आमतौर पर कम मूल्य वाले उत्पाद, जैसे कपड़ा, चमड़ा, श्रम-प्रधान वस्तुएं, दवाइयां और इसी तरह के छोटे-छोटे मूल्य वाले उत्पाद निर्यात करता है। कम समय में इनकी बिक्री को तेजी से बढ़ाना मुश्किल साबित हो सकता है।

संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी कृषि उत्पाद भी इस व्यापार समझौते में शामिल हैं और ये अब भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक खतरनाक कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है, अगर भारत के किसान को उसके अपने ही देश में बाज़ार से बाहर कर दिया जाए।

चाहे जितने भी टैरिफ हटा दिए जाएं और अमेरिकी कृषि उत्पादों को प्रवेश की अनुमति दे दी जाए, रुपये और डॉलर की विनिमय दर को देखते हुए भारत में बड़े पैमाने पर अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद तब तक संभव नहीं है, जब तक अमेरिका इन्हें भारी सब्सिडी न दे। इसके अलावा, कृषि उत्पादों को लेकर हमारी पसंद भी अलग है और भारत शायद अधिकांश अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए तैयार बाज़ार नहीं हो सकता। किसी भी खरीद के मामले में उपभोक्ता की पसंद मायने रखती है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अचानक घोषणा के पीछे सच्चाई जो भी हो, कूटनीतिक रूप से यह भारत के लिए उपयोगी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम दंडात्मक टैरिफ अब स्थायी रूप से खत्म हो जाए।

11 फरवरी को होगा मुम्बई मेयर का चुनाव

6 फरवरी को नामांकन दाखिल होंगे तथा 11 फरवरी को नामांकन वापस लिए जाएंगे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 3 फरवरी। बृहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बी एम सी) के मेयर पद का चुनाव 11 फरवरी को होगा और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि भी वही होगी।

इस समय-सीमा के तय होने से राजनीतिक दलों, विशेषकर देश के इस सबसे बड़े नगर निकाय में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा के भीतर, राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं।

इस वर्ष का महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा कराई गई लॉटरी के ज़रिये लिया गया है। इस कारण जहां सत्तारूढ़ दल के भीतर ज़ोरदार लाबिइंग शुरू हो गई है, वहीं विपक्ष ने तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से तैयार की गई है।

भाजपा के भीतर महापौर पद की दौड़ ने विभिन्न गुटों के बीच मतभेद उजागर कर दिए हैं। पार्टी के नेता निजी तौर पर इसे पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य दलों से आए बाहरी लोगों के बीच संघर्ष के रूप में बता रहे हैं।

कई महिला पार्षद इस पद के लिए दावेदारी कर रही हैं और वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बीते कुछ दिनों में लॉबिइंग तेज़ हो गई है। दावेदार और उनके समर्थक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मिलने का समय मांग रहे हैं, जिन्हें पार्टी के अंतिम फैसले में निर्णायक माना जा रहा है।

- लॉटरी प्रणाली के तहत मुम्बई का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला को मिला है, इससे शिव सेना (उद्धव गुट) की उम्मीदें टूट गई हैं, वहीं भाजपा में भारी उठापटक मची है। मेयर बनने की आकांक्षी कद्दावर महिला पार्षदों ने जोड़तोड़ करना शुरु कर दिया है।
- इनमें रितु तावड़े, हर्षिता नर्वेकर व शीतल गंभीर प्रमुख हैं। पार्टी का एक धड़ा तावड़े के पक्ष में है, वहीं स्पीकर राहुल नर्वेकर अपनी भाभी हर्षिता के पक्ष में खड़े हैं।
- सबसे प्रमुख बात यह है कि इन तीनों को ही बाहरी बताया जा रहा है, क्योंकि ये अन्य दलों से भाजपा में आई हैं। पार्टी का एक गुट कह रहा है कि मेयर पद ऐसी महिला को मिलना चाहिए, जिसने शुरु से ही मुम्बई में भाजपा के लिए काम किया हो।

भाजपा के भीतर चर्चा में तीन नाम प्रमुख हैं: हर्षिता नरवेकर, ऋतु तावड़े और शीतल गंभीर।

मुंबई भाजपा का एक गुट ऋतु तावड़े के पक्ष में मज़बूती से खड़ा है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर अपनी भाभी हर्षिता नरवेकर की उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं।

इसी बीच, पार्टी के भीतर एक अन्य वर्ग ने आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि नरवेकर, तावड़े और गंभीर मूलरूप से भाजपा सदस्य नहीं हैं, वे अन्य दलों से आकर पार्टी में शामिल हुई हैं। इन नेताओं का कहना है कि महापौर का पद किसी ऐसी महिला को मिलना चाहिए, जिसने वर्षों तक मुंबई में भाजपा संगठन के भीतर काम किया हो।

यह राजनीतिक उथल-पुथल उस घोषणा के बाद सामने आई है कि मुंबई का अगला महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी। यह निर्णय राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा कराए गए लॉटरी ड्रॉ के ज़रिये लिया गया। यह विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास हैं।

लॉटरी प्रणाली यह तय करती है कि महापौर का पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा-सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)। श्रेणी घोषित होने के बाद ही पात्र पार्षद नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि लॉटरी ड्रॉ मुंबई सहित, महाराष्ट्र के 28 अन्य नगर निकायों के लिए किया गया, जहां 15 जनवरी को चुनाव हुए थे।

ड्रॉ का परिणाम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के लिए झटका साबित हुआ। पार्टी को उम्मीद थी कि मुंबई का महापौर पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित होगा। श्रेणी की दोनों पात्र महिला पार्षद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली इसी पार्टी से हैं।

पिछले सप्ताह आए नगर निकाय चुनाव नतीजों के बाद, ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से उम्मीद जताई थी कि "अगर भगवान चाहेंगे" तो मुंबई को उनकी पार्टी का महापौर मिलेगा। लेकिन ड्रॉ में यह पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद उनकी ये उम्मीदें टूट गईं। शिवसेना (यूबीटी) का आकलन था कि एसटी आरक्षण से उसे शीर्ष नागरिक पद पुन: हासिल करने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता था। यह पद पार्टी ने 1997, जब पार्टी विभाजित नहीं हुई थी, के बाद से लगातार 25 वर्षों तक संभाला था।

आईसीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूत्रों ने पुष्टि की है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्डों से पीसीबी को मिली प्रतिक्रिया काफ़ी सख़्त रही है। आम राय यह है कि इस मामले में पाकिस्तान के पास कोई वैध आधार (कानूनी स्थिति) नहीं है। पीसीबी ने इस बहिष्कार को बाँग्लादेश को टूर्नामैंट से हटाए जाने के बाद उसके साथ एकजुटता दिखाने के रूप में पेश किया है, लेकिन इसे एक बनावटी संकट के रूप में देखा जा रहा है।

सदस्य बोर्डों ने कई ऐसे विरोधाभासों की ओर इशारा किया है, जो इस कदम के पीछे पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला, बिना किसी विरोध या बहिष्कार की बात किए।

स्पष्ट असंगति का एक और उदाहरण यह है कि पाकिस्तान की महिला 'ए' टीम उसी दिन (15 फ़रवरी को) भारत 'ए' के खिलाफ खेलने वाली है और बैंकॉक में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 मैच से उसके हटने की कोई योजना नहीं है।

चूंकि पुरुष वर्ल्ड कप का मैच कोलंबो, श्रीलंका में एक न्यूट्रल जगह पर होना है, इसलिए बांग्लादेश द्वारा भारत यात्रा के बारे में बताई गई "सुरक्षा चिंताओं" का पाकिस्तान की स्थिति पर कोई लॉजिकल असर नहीं पड़ता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908